लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF 6th LOK SABHA DEBATES

[पांचवां सत्र
Fifth Session]

Preservation Unit
Fumigated
On 11.11.92
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 18 में अंक 21 से 32 तक हैं
Vol. XVIII contains Nos. 21 to 32]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price : Four Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/ अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय सूची/CONTENTS

संख्या 27, बुधवार, 23 अगस्त, 1978/1 भाद्र, 1900 (शक)

No. 27, Wednesday, August 23, 1978,/Bhadra 1, 1900 (Saka)

विषय	SUBJECT	
संविधान (45वां संशोधन) विधेयक खण्ड 4 से 49 और 1	Constitution (Forty-Fifth Amendment) Bill Clauses 4 to 49 and 1	1—10
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में	Motion to pass, as amended	
श्री शांति भूषण	Shri Shanti Bhushan	1
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	5
श्री राज नारायण	Shri Raj Narain	5
श्री आर० वेंकटारमन	Shri R. Venkataraman	6
श्री जे० रामेश्वर राव	Shri J. Rameshwara Rao	7
श्री अरविंद बाला पजनौर	Shri A. Bala Pajanor	7
श्रीमती पार्वती कृष्णन्	Shrimati Parvathi Krishnan	8
श्री राम किशन	Shri Ram Krishnan	9
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	10—14
राज्य सभा से संदेश	Message from Rajya Sabha	14
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to matter of Urgent Public Importance	15—18
16 अगस्त, 1978 को सुवर्ण रेखा (बिहार) नदी में फैंके जाने का समाचार	Reported throwing of some tribals into the Subarnarekha river (Bihar) on 16-8-78	
श्री लक्ष्मण राव मानकर	Shri Laxman Rao Mankar	15
श्री एस० डी० पाटिल	Shri S. D. Patil	15
श्री यज्ञदत्त शर्मा	Shri Yagya Datt Sharma	16
श्री मोरारजी देसाई	Shri Morarji Desai	16
श्री पी० के० कोडियान	Shri P. K. Kodiyan	16
लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee	18
84वां और 85वां प्रतिवेदन	Eighty-fourth and Eighty Fifth Reports	
सभा की बैठकों से अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति	Committee on Absence of Members from sittings of the House	
8वां प्रतिवेदन	Eighth Report	18
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members' Bills and Resolutions	
23वां प्रतिवेदन	Twenty Third Report	18
विदेश मंत्री की जापान और कोरिया गणराज्य की यात्रा के बारे में वक्तव्य	Statement Re : Visit of Minister of External Affairs to Japan and the Republic of Korea	18—21
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee	18

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
पुलिस अध्यादेश, 1978 और दिल्ली पुलिस विधेयक के निरनुमोदन सम्बन्धी सांविधिक संकल्प—अस्वीकृत और दिल्ली पुलिस विधेयक 1978	Statutory Resolution re : Disapproval of Police Ordinance, 1978—Negatived and Delhi Police Bill, 1978	21—44
विचार के लिए प्रस्ताव	Motion consider	
श्री शम्भु नाथ चतुर्वेदी	Shri Shambhu Nath Chaturvedi	21
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	21
श्री एडुआर्डो फैलीरो	Shri Eduardo Faleiro	21
श्री रामानन्द तिवारी	Shri Ramanand Tiwari	22
श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharya	23
श्री किशोर लाल	Shri Kishore Lal	23
श्री वयालार रवि	Shri Vayalar Ravi	23
श्री विजय कुमार मल्होत्रा	Shri Vijay Kumar Malhotra	24
श्री एस० जी० मुरुगय्यन	Shri S. G. Murugaiyan	24
डा० रामजी सिंह	Dr. Ramji Singh	25
चौधरी बलवीर सिंह	Chowdhry Balbir Singh	25
श्री आर० एल० पी० वर्मा	Shri R. L. P. Verma	25
डा० बलदेव प्रकाश	Dr. Baldev Prakash	25
श्री एस० डी० पाटिल	Shri S. D. Patil	26
श्रीमती पार्वती कृष्णन्	Shrimati Parvathi Krishnan	27
खण्ड 2 से 152 और 1	Clauses 2 to 152 and 1	
पारित करने का प्रस्ताव, यथा संशोधित (सभा गणपूर्ति के अभाव म स्थगित)	Motion to pass as amended (House adjourned for want of quorum)	
श्री एस० डी० पाटिल	Shri S. D. Patil	43
श्री वयालार रवि	Shri Vayalar Ravi	43
श्रीमती पार्वती कृष्णन्	Shrimati Parvathi Krishnan	44

लोक सभा

LOK SABHA

बुधवार, 23 अगस्त, 1978/1 भाद्र, 1900 (शक)

Wednesday, August 23, 1978/*Bhadra* 1, 1900 (*Saka*)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

संविधान (पैंतालीसवां संशोधन) विधेयक—जारी

CONSTITUTION (FORTY-FIFTH AMENDMENT) BILL—*Contd.*

4 से 49 और 1—जारी

अध्यक्ष महोदय : सदन में अब भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर खण्डवार चर्चा होगी। इससे पहले कि मैं खण्ड 35 को सदन के मतदान के लिए रखूं, मैं बता देना चाहता हूं कि संविधान संशोधन विधेयक होने के कारण, मतदान मत-विभाजन द्वारा किया जाएगा। दीर्घाएं खाली कर दी जाएं।

दीर्घाएं खाली कर दी गई हैं। मैं खण्ड 35 पढ़ूंगा जो इस प्रकार है :

"संविधान के भाग 16क का लोप कर दिया जाएगा।"

प्रो० पी० जी० मावलन्कर : आप सदन में आए और उसके बाद आपने मत-विभाजन की घंटी बजाने का आदेश दिया।

अध्यक्ष महोदय : दीर्घाएं खाली कर दी गई हैं। संगत खंड मैं पहले पढ़ कर सुना चुका हूं। इस खण्ड में उच्च न्यायालय की जगह, प्रशासनिक न्यायाधिकरणों तथा अन्य मामलों के लिए न्यायाधिकरणों से संबंधित संविधान के भाग 16क को निकालने की मांग की गई है। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 35 विधेयक का अंग बने"।

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

श्री सी० एम० स्टीफेन : महोदय : मैं नियम 367क के उप-खण्ड (3) की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। जिसने मतदान नहीं किया है, वे खड़े हो जाएं और खुद बताएं।

संसद कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : मैं भी आपका ध्यान नियम 367क के उप-खण्ड (4) की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : विपक्ष के नेता ने नियम 367क के उप-खण्ड (3) की ओर ध्यान दिलाया है। उप-खण्ड (4) तो उसके बाद ही आता है।

यह दो अलग-अलग बातें हैं। उप-खण्ड (4) का संबंध उससे है जहां किसी सदस्य ने गलती से मतदान किया है; उप-खण्ड (3) का संबंध उस सदस्य से है जो मतदान नहीं कर सका है। जो मत नहीं दे सके हैं वे खड़े होकर अध्यक्ष को बताएं और जिन्होंने गलती से मतदान किया है वे शुद्धि पर्ची दे सकते हैं।

मैं अब दोनों ओर की गणना कर रहा हूं।

SHRI MANI RAM BAGRI (Mathura) : Mr. Speaker, Sir, before you announce the result, have a point of order. Rajya Sabha is in Session and the Ministers whose voting on this Constitution (Amendment) Bill is essential are in the Rajya Sabha. (*Interruptions*).

अध्यक्ष महोदय : मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में : 277

AYES

विपक्ष में : 81

NOES

मतदान की अलग-अलग तफसील इस प्रकार है :

पक्ष में : 252 मूल

AYES

25 बाद में

विपक्ष में : 79 मूल

NOES

2 बाद में

प्रस्ताव सभा की कुल सदस्यता के बहुमत से और उपस्थित तथा मतदान करने वाले कुल सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से स्वीकृत हुआ।

The motion was carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two thirds of the members present and voting.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

खण्ड 35 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 35 was added to the Bill

श्री चन्द्र शेखर (बलिया) : मुझे दुख है यह कहते हुए कि मतदान के दौरान विपक्ष के सदस्य शालीनता का व्यवहार नहीं करते। मैं उनसे अपील करूंगा.......... (**व्यवधान**)

श्री सी० एम० स्टीफेन : पूर्ण बहुमत के बावजूद सत्तारूढ़ दल मतदान के लिए शुरू में ही काफी सदस्यों को इकट्ठा नहीं कर सका है। इससे स्पष्ट है कि सारी पार्टी इस संविधान (संशोधन) विधेयक के पक्ष में नहीं है।

खण्ड 38

अध्यक्ष महोदय : दीर्घाएं खाली कर दी गई हैं। अब हम खण्ड 38 को लेते हैं। मतदान मत-विभाजन से होगा।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 38 विधेयक का अंग है।"

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided.

अध्यक्ष महोदय : मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में : 340

AYES

विपक्ष में : 61

NOES

प्रस्ताव सभा की समस्त संख्या के बहुमत स तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से न्यूनतम बहुमत से स्वीकृत हुआ ।

The motion was carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two thirds of the members present and voting.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 38 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 38 *was added to the Bill.*

खण्ड 44

अध्यक्ष महोदय : अब हम खण्ड 44 लेते हैं । यह खण्ड प्रस्तावना में प्रयोग किए गए "धर्मनिर्पेक्ष" तथा न "समाजवादी" शब्दों के महत्व की व्याख्या करने संबंधी उपबंधों को सम्मिलित करने के लिये संविधान के अनुच्छेद 366 में संशोधन की मांग करता है ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 44 विधेयक का अंग बने ।"

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided.

अध्यक्ष महोदय : सुधार की गुंजाइश रहते हुए मत-विभाजन का नतीजा यह है :

पक्ष में : 289

AYES

विपक्ष में : 100

NOES

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से स्वीकृत हुआ । खण्ड 44 विधेयक का अंग बनता है ।

The motion was carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two thirds of the members present and voting.

Clause 44 stands part of the Bill.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted.

खण्ड 44 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 44 *was added to the Bill.*

अध्यक्ष महोदय : दीर्घाएं खाली कर दी जाएं ।

खण्ड 45

खण्ड 45, संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति से संबंधित, संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन चाहता है ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 45 विधेयक का अंग बने ।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided.

अध्यक्ष महोदय : सुधार की गुंजाइश के रहते हुए, मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार है:

पक्ष में : 314

AYES

विपक्ष में : 88

NOES

प्रस्ताव सभा की समस्त संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से स्वीकृत हुआ ।

The motion was carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two thirds of the members present and voting.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted.

खण्ड 45 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 45 was added to the Bill.

खण्ड 47

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 47 विधेयक का अंग बने।"

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided.

अध्यक्ष महोदय: सुधार की गुंजाइश रहते हुए, मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में : 299

AYES

विपक्ष में : 97

NOES

प्रस्ताव सभा की समस्त संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से स्वीकृत हुआ ।

The motion was carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two thirds of the members present and voting.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 47 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 47 was added to the Bill.

अध्यक्ष महोदय: अब हम उन खण्डों पर आते हैं जिन्हें मत-विभाजन द्वारा विशेष बहुमत के लिए सदन में रखा जा सकता है।

प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 4 से 7, 10, 12 से 14, यथा-संशोधित खण्ड 15, खण्ड 16 से 20, यथा-संशोधित खण्ड 21, 22, खण्ड 23 से 25, यथा संशोधित खण्ड 26, खण्ड 27 से 34, खण्ड 36, 37, 39, 40 यथा संशोधित खण्ड 41, खण्ड 42, 43, 46, 48, 49 और यथा-संशोधित खण्ड 1 विधेयक का अंग बने।"

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided.

अध्यक्ष महोदय: सुधार की गुंजाइश रहते हुए, मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार है:

पक्ष में : 405

AYES

विपक्ष में : 2

NOES

प्रस्ताव सभा की समस्त संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से स्वीकृत हुआ।

The motion was carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two thirds of the members present and voting.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड सं० 4 से 7,10, 12 से 14, यथा संशोधित 15, 16 से 20, यथा संशोधित 21, यथा संशोधित 22, 23 से 25, यथा संशोधित 26, 27 से 34, 36, 37, 39, 40, यथा संशोधित 41,42, 43, 46, 48, 49 और यथा संशोधित खण्ड 1 विधयक में जोड़ दिए गए।

Clauses Nos. 4 to 7, 10, 12 to 14, 15 as amended, 16 to 20, 21 as amended, 22 as amended, 23 to 25, 26 as amended, 27 to 34, 36, 37, 39, 40, 41 as amended, 42, 43, 46, 48, 49 and Clause 1 as amended, were added to the bill.

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

The Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

अध्यक्ष महोदय: अब विधि मंत्री तृतीय पाठ का प्रस्ताव करें।

श्री शांति भूषण: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

मैं सदन के उन सभी वर्गों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस विधेयक के पारित होने के पक्ष में समर्थन किया है। इन शब्दों के साथ, सदन के सभी वर्गों से मैं इस विधेयक को एक आवाज के साथ पारित करने की सिफारिश करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर): आज भी देश में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जम्मू तथा काश्मीर और आंध्र प्रदेश जैसे पांच राज्यों में ये छोटे-मोटे 'मीसा' जैसे कानून मौजूद हैं।

राज्य विधानमंडलों को निवारक नजरबन्दी अधिनियम बनाने की शक्ति देना एक खतरनाक बात है। इसे समवर्ती सूची में आना चाहिए।

SHRI RAJ NARAIN (Rae Bareli): Mr. Speaker, Sir, all Members of Parliament, belonging to the Janata Party, had taken a pledge at Gandhi Samadhi to follow the ideals set by Mahatma Gandhi. Secondly, the Janata Party has committed itself to decentralisation. So, may I ask whether this amendment has anything pertaining to the decentralisation of economic and political powers? I do not know why the Law Minister has forgotten this clause of our manifesto.

Besides this, Janata Party's election manifesto says that right to protest by peaceful and non-voilent means will be allowed. Will Shri Shanti Bhushan state whether he is making any provision in the law, by way of this amendment Bill, for peaceful agitation? If he is not doing so, I will say that he is killing the very spirit of the manifesto.

Secondly, I would like to know from Shri Shanti Bhushanji whether they are going to make A.I.R., Television and Films Division an autonomous establishment as declared in our Election manifesto? I want that a complete list should be produced in the House so that you could know how many times the name of a particular Minister, political leader or a political worker figures in their broadcaste.

The Amendments presented by Shri Shanti Bhushanji are not new but they are exact copies of the amendments made by Shrimati Indira Gandhi.

अध्यक्ष महोदय : आप तो ऐसे भाषण दे रहे हैं जैसे कि यह पहला अवसर हो ।

SHRI RAJ NARAIN : Many of my friends, especially those from the opposition have defined Socialism by quoting Karl Marx but they have quoted him on the basis of their incomplete study.

अध्यक्ष महोदय : आपने बहुत ज्यादा समय ले लिया है । अब मैं आपको केवल दो मिनट का समय दूंगा ।

SHRI RAJ NARAIN : Sir, Karl Marx has nowhere used the word communism which is the invention of Lenin.

Further, I want to say that production, exchange, distribution should be covered by the society, not by the Government.

मेरे विचार में, सच्चा समाजवाद सच्चा समाज है और सच्चा लोकतंत्र सच्चा समाजवाद है ।

There are four kinds of equalities needed for democracy and they are :

कानूनी समता, राजनीतिक समता, आर्थिक समता तथा सामाजिक समता ।

Will Shri Shanti Bhushanji tell me whether it embodies these four equalities or whether it anywhere refers to establish them ?

So far as the President is concerned, there is no qualitative change between the two clauses—one by Shri Shanti Bhushanji and the other inserted by Smt. Indira Gandhi.

अध्यक्ष महोदय : श्री राज नारायण जी आप 20 मिनट से भी ज्यादा समय ले चुके हैं ।

SHRI RAJ NARAIN : I need only one minute more. I am opposed to referendum. The greater harm done to the Janata Party by Shri Shanti Bhushan is to remove education from the Concurrent List.

अध्यक्ष महोदय : अब आगे और कुछ नहीं । कृपया बैठ जाएं । श्री वेंकटरमण ।

श्री वेंकटरमण (मद्रास साउथ) : श्रीमान्, मेरे फैफड़ों में इतना दम नहीं है कि मैं अन्य सदस्य पर चिल्ला सकूं । **(व्यवधान)**

श्री मनी राम बागड़ी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । श्री वेंकटरमण ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : रिकार्ड न करें ।

(व्यवधान)**

श्री आर० वेंकटरमण : महोदय, विधि मंत्री ने जिस ढंग से पैंतालीसवें संशोधन विधेयक का पक्ष लिया है, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा । हमारे लिए यह भी प्रसन्नता की बात है कि वर्तमान सरकार ने आदर्शवाद और व्यावहारिकता के अन्तर को महसूस किया है ।

संविधान सभा या वैकल्पिक संसद में आए हममें से अधिकांश लोग भी उन दिनों नजरबंदी भोग कर आए थे और हमने शपथ ली थी कि अब इस देश में आगे कोई निवारक नजरबन्दी नहीं होगी । फिर भी, जब कांग्रेस ने उन दिनों शासन संभाला तो बाध्यताओं तथा जरूरतों ने उन्हें निवारक नजरबन्दी अधिनियम बनाने के लिए विवश कर दिया । इसी तरह जनता पार्टी ने भी महसूस किया है कि उनके आदर्शों तथा लक्ष्यों को एक ही बार में लागू करना संभव नहीं है और इसीलिए उन्होंने बयालिसवें संशोधन अधिनियम के अनेक उपबंधों को स्वीकार कर लिया है ।

**रिकार्ड नहीं किया गया ।

Not recorded.

एक तो मैं यह समझता हूं कि जनमत संग्रह के लिए हमारा देश अभी परिपक्व नहीं है और दूसरे, मेरा विचार यह है कि कुछ विशेष अल्पसंख्यक अन्य वर्गों पर अपनी इच्छा लागू नहीं कर सकेंगे। उदाहरणार्थ, इस तरह के जनमत संग्रह से भाषा जैसे कुछेक मामलों में दक्षिण भारत की जनता के हितों पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है।

शिक्षा और वन, इन दो विषयों को राज्य सूची में अंतरित के बारे में भी कांग्रेस के अपने ही विचार हैं।

हमें पूरी आशा है कि 'शिक्षा' को केन्द्र में रख कर, केन्द्र उन राज्यों पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर सकेगा जो अंग्रेजी को त्याग कर केवल एक ही भाषा तक सीमित रहना चाहते हैं। दक्षिण भारत के लोग हिन्दी को राज भाषा के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हैं लेकिन दो शर्तों पर। एक तो यह कि लोगों को वह भाषा आनी चाहिए और दूसरे, वे इस तरह से इसे अपनाने में समर्थ हों कि उस भाषा में प्रशासन के कार्य संचालन की अपेक्षाओं को पूरा कर सकें। अतः मेरा निवेदन यह है कि देश की अभिन्नता तथा एकता के हित में यही बहुत अच्छा होगा कि 'शिक्षा' को केन्द्र सूची में ही रहने दिया जाए। मैं उनमें से हूं जिन्होंने एक समय, राज्य की अधिकाधिक स्वयत्ता के लिए संघर्ष किया था। मेरा विश्वास है कि राज्यों को इस संविधान के अन्तर्गत भी देश के राजस्व में उनके वैध हिस्से से वंचित किया गया है।

एक और बात, जिस पर हम चाहते थे कि सरकार राजी है, वह न्यायाधिकरणों के प्रश्न से संबंधित है। एक समय हमने, श्रमिक न्यायाधिकरण की ओर से अपीलों के लिए श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण की व्यवस्था करके समझा था कि अब श्रमिक विवादों तथा औद्योगिक विवादों का समाधान हो जाएगा। लेकिन हुआ यह कि श्रम न्यायाधिकरण तथा श्रम अपीलीय न्याधिकरण से लेकर अपीलें उच्च न्यायलय तथा उच्चतम न्यायालयों तक पहुंचने लगीं। इस जटिल प्रक्रिया ने श्रमिक वर्ग को थका दिया और बहुत से अधिकारों से उन्हें वंचित कर दिया गया। औद्योगिक न्याधिकरणों में अब उनका विश्वास कम होता जा रहा है।

भारत में सिविल कर्मचारियों को भी कोई संरक्षण नहीं है जबकि संयुक्त राष्ट्रों में सिविल कर्मचारियों के लिए प्रशासनिक न्यायधिकरणों की व्यवस्था है। सरकार को इन प्रशासनिक न्याधिकरणों के बारे में अधिक उदार रुख अपनाना चाहिए।

श्री जे० रामेश्वर राव (महबूब नगर) : मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि 4 या पांच खण्डों के बारे में विधि मंत्री तथा सरकार से हमारा मौलिक मतभेद है। इस देश में जनमत संग्रह लागू करने में आधारभूत व्यवहारिक कठिनाई है। क्या आप समझते हैं कि 30 करोड़ मतदाताओं का जनतम संग्रह करना संभव है ?

निश्चित रूप से हम संविधान संशोधन विधेयक में रोड़ा अटकाना नहीं चाहते लेकिन हम में से कुछ ने जो विचार व्यक्त किए हैं वह उन्हें क्यों नहीं देखते ?

इस संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों की अपेक्षा, जनमत संग्रह से सत्तावादी प्रणाली का आ जाना ज्यादा संभव है। इसका प्रयोग, मात्र किसी नीति के बारे में ही नहीं बल्कि संविधान की संरचना को ही पूरी तरह परिवर्तित करने के लिए किया जा सकता है। वेमर रिपब्लिक का उदाहरण आप देख सकते हैं कि वहां क्या हुआ।

शिक्षा के विषय को समवर्ती सूची से हटाने और न्यायधिकरणों के प्रश्न पर भी हमारी कुछ अलग धारणाएं हैं। यही कुछ पहलू हैं जिन पर वह पुर्नविचार कर सकते हैं, अभी कोई बहुत ज्यादा देर नहीं हुई है।

श्री ए० बाला बजनौर (पांडिचेरी) : अध्यक्ष महोदय, अन्य सदस्यों के साथ साथ, मैं भी विधि मंत्री को बधाई देता हूं। बेहतर होता यदि वह प्रस्ताव में 'संघीय' शब्द शामिल करने का सुझाव मान लेते क्योंकि इस देश के लोगों की अब यह धारणा है कि वर्तमान जनता सरकार, संविधान के संघीय स्वरूप को देखते हुए विकेन्द्रीयकरण के हक में है।

यह तथ्य है कि यह देश संघीय है। साउथ और नार्थ का पैटर्न आप देख सकते हैं। हम यही महसूस करते हैं कि हम एक हैं, हमारा देश एक है. क्योंकि हमारी सांस्कृति परिपाटी का स्वरूप संघीय है। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि हमारा देश जनमत संग्रह के लिए परिपक्व नहीं है। संशोधन से मैं देख सकता हूं

कि इसमें आपने तीन बड़े अंशों को लिया है जो संविधान के धर्म-निरपेक्ष तथा लोक-तांत्रिक स्वरूप, न्यायपालिका तथा मौलिक अधिकारों से संबंधित है । यही मामले जनमत संग्रह के लिये लोगों तक जायेंगे । अनुभव से ही लोग सही निर्णय लेना सीखेंगे । लेकिन मेरा सुझाव है कि 51 प्रतिशत काफी नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : आपका समय समाप्त हो रहा है ।

श्री ए० बाला पजनौर : केवल एक मिनट और दें । मुझे दो विषयों पर और कहना है ।

जहां तक न्यायधिकरणों का संबंध है, विधि मंत्री द्वारा इस व्यवस्था के एक ही बार में समाप्त कर देने का निर्णय ठीक नहीं है । हम जानते हैं, और ऐसा कि मेरे मित्र ने स्पष्ट किया है, मुकद्दमे दिन-ब-दिन दुरूह होते जा रहे हैं और इसीलिए संविधान (ब्यालीसवां) संशोधन विधेयक में एक संशोधन पुरःस्थापित किया गया था । उच्च न्यायालय के न्यायधीश के स्तर के किसी व्यक्ति या उच्च न्यायालय मालूम नहीं, इस 'संघीय' शब्द को संविधान की प्रस्तावना में शामिल करने से विधि मंत्री को किसने रोका, जैसा कि आप जानते हैं, 'ईक्वलिटी' तथा 'फर्टिनिटी' शब्द फ्रेंच संविधान से लिए गए हैं । लेकिन जब आप धर्म निरपेक्षता, लोकतन्त्र और समाजवाद पर आते हैं, इन्हें 42वें संशोधन द्वारा पुरःस्थापित किया गया था और वर्तमान संशोधन विधेयक की धारा 44 में इसकी परिभाषा करने में उन्होंने काफी श्रम किया । **(व्यवधान)** . . . . . रेल मंत्री ने कहा कि यह जनता क्रांति है । जनता रिवाल्यूशन को विकेन्द्रीयकरण का आइडिया संविधान में 'फर्टिनिटी आफ फेडरलिजम' शब्दों को जोड़ देने से मिल जाता ।

लेकिन हमें दुख है कि आपने इस पर विचार नहीं किया । मैं उनसे समहत नहीं हूं जो कहते हैं कि देश का भविष्य खतरे में है । यह सही है कि हर कोई देश की एकता और अखंडता के बारे में उतना गंभीर नहीं है । लेकिन हमें पंडितजी के इन शब्दों में बहुत विश्वास है कि एकता तो विभिन्नता में अधिक है, इस एकीकरण में नहीं जो आप इस संविधान के जरिए करने की कोशिश कर रहे हैं । स्वरूप में विभिन्नता ही एकरूपता ला सकती है । जो किसी न्यायाधीश के ही बैठने से क्या फर्क पड़ेगा । मेरी समझ में नहीं आ रहा कि किस कारण से श्री शांति भूषण ने इसे निकाल दिया है ।

जैसा कि मैं कह चुका हूं, इस संविधान संशोधन विधेयक को लाने में श्री शांति भूषण अपने राजनीतिक होने का प्रमाण नहीं दे सके हैं । उन्होंने संविधान की नवीं अनुसूची का अध्ययन क्यों नहीं किया ? छोटे-छोटे अधिनियम उसमें रख दिए गए हैं, इसके कुछ राजनीतिक कारण है ।

इन शब्दों के साथ, मैं उनको अपनी पार्टी की ओर से एक बार फिर बधाई देता हूं ।

मैं आशा करता हूं कि इस संशोधन विधेयक से इस देश के लोगों में और अधिक विश्वास उत्पन्न होगा और वे महसूस करेंगे कि प्रशासन हाथ-पर-हाथ धरे नहीं बैठा है ।

श्रीमती पार्वती कृष्णन (कोयम्बटूर) : विधि मंत्री ने सदस्यों द्वारा सुझाये गये उन संशोधनों को भी स्वीकार नहीं किया है । जोकि संविधान को लोकतंत्र ढंग से चलाने सम्बन्धी मंत्री महोदय के अपने ही दृष्टिकोण से मेल खाते हैं । हम विचारक नजरबन्दी के विरूद्ध लड़ते आये हैं तथा आगे भी लड़ते ही रहेंगे । हम इसका किसी भी प्रकार समर्थन नहीं कर सकते । दूसरे हम विधि मंत्री को संविधान का लक्षण निर्धारित करने सम्बन्धी मान्यता से भी समहत नहीं है ।

जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है उससे सम्बद्ध केवल भाषा का प्रश्न ही नहीं है, वह तो केवल इसका एक पहलू मात्र है । पिछले 21 वर्षों में देश में शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया जाता रहा है । शिक्षा को तकनीकी या अन्य किसी दृष्टि से व्यवसाय-प्रधान बनाने के लिये कोई सुव्यवस्थित प्रयत्न नहीं किया गया है । जब हम यह मांग करते हैं कि शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा जाये तो उससे हमारा तात्पर्य यहीं होता कि देश का चाहे कोई भी इलाका क्यों न हो, वहां कैसी भी भाषा का प्रयोग क्यों न किया जाता हो, देश की शिक्षा पद्धति, तथा विशेष रूप से तकनीकी शिक्षा संबंधी नीति में एकरूपता होनी चाहिए । जब सभी को एक सी शिक्षा पद्धति के आधार पर शिक्षा दी जायेगी, तो अखिल भारतीय परीक्षाओं तथा अखिल भारतीय सेवाओं के लिये इन लोगों को प्रशिक्षण देने का कार्य आसान हो जायेगा । यही कारण है कि हम इस विधेयक का समर्थन कुछ संकोच के साथ कर रहें हैं ।

SHRI RAM KISHAN (Bharatpur): The main intention behind this 45th Constitution (Amendment) Bill is to make certain provisions in the Constitution to ensure that in future dictatorial tendencies may not develop and prosper in the country. But mere constitutional provisions cannot serve this purpose and cannot strengthen democracy in the country unless the root causes which give rise to the growth and development of such tendencies are not removed.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

We will not be able to achieve our aim unless poverty, increasing unemployment, economic disparities and signs of unstability in our own party are not removed and the pace of economic growth is not increased. We will have to take concrete steps which may instil confidence among the people that Government are working for their benefit.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : अनेक सदस्यों ने बहुत से मूल्यवान सुझाव दिए हैं। मैं सदस्यों को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि कुछ सुझाव इतने मूल्यवान भी हैं कि उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, परन्तु फिर भी उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि किसी संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकार करने से पहले देश में मतैक्य आवश्यक होता है। संशोधन केवल अच्छा ही नहीं होना चाहिए, अपितु लोग भी इस बात से सहमत होने चाहिएं कि सह संशोधन अपेक्षित है तथा उसे संविधान में जोड़ा जाना चाहिए।

प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के बारे में जो चिंता व्यक्त की गई है, उसके बार म म यहा कहमा चाहता हूं कि कुछ ही समय के बाद सरकार द्वारा उनके संशयों को दूर कर दिया जायेगा। सदस्यों द्वारा इस बात पर चिन्ता व्यक्त की गई है कि न्याय मिलने में बहुत अधिक समय लग जाता है। हमें आशा है कि उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायालयों में होने वाले इस विलम्ब को कम करने में हम सफल हो सकेंगे। यदि हम ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के पक्ष में जो तर्क दिए गए हैं, वे स्वतः ही निराधार हो जायेंगे। सरकार इस समस्या पर गंभीरता से विचार कर रही है और मुझे केवल आशा ही नहीं, अपितु पूर्ण विश्वास है कि आगामी कुछ वर्षों में हम इस समस्या पर काबू पा लेंगे और सदस्यों की इसके बारे में चिन्ता समाप्त हो जाएगी।

केवल निवारक नजरबन्दी ही नहीं, अपितु हर प्रकार की नजरबन्दी बुरी होती है। मैं तो इस बात का पक्षपाती हूं कि हमारे देश में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसके अनुसार किसी व्यक्ति को तब तक निवारक नजरबन्द न किया जाये या अन्य किसी प्रकार से तब तक नजरबन्द न किया जाये जब तक कि उनका अपराध सिद्ध न हो जाए। मैं आशा करता हूं कि हमारे देश की संविधान पुस्तिका में शीघ्र ही ऐसे कानून को शामिल किया जाये जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाये या बिना उसका जुर्म साबित हुए, नजरबन्द नहीं किया जा सकेगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ।
The Lok Sabha divided.

पक्ष में : 355 विपक्ष में : शून्य

Ayes : 355 Noes : NIL

यह प्रस्ताव सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत से तथा सभा में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से स्वीकृत हुआ अतः विधेयक, संशोधित रूप में, संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार अपेक्षित बहुमत से पास हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

तत्पश्चात लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बज कर तीस मिनट म० प० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till thirty minutes past fourteen of the clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा दो बज कर तीस मिनट म० प० पर पुन: समवेत हुई।

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Thirty Minutes past Fourteen of the clock.

[†डा० सुशीला नायर पीठासीन हुई
DR. SUSHILA NAYAR *in the Chair*]

सभापति महोदय : अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : मैंने एक विशेषाधिकार प्रस्ताव का नोटिस दिया है।

सभापति महोदय : इस पर अध्यक्ष महोदय निर्णय लेंगे।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

भारतीय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान पुणे का वर्ष 1977 के लेखा परीक्षित लेखे तथा विवरण विलम्ब का कारण बताने वाला विवरण

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवानी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) भारतीय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान, पुणे को 31 मार्च, 1977 को समाप्त हुए वर्ष के लेखापरीक्षित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) उपर्युक्त दस्तावेज को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2668/78]

तेल उद्योग विकास बोर्ड कर्मचारी नियम 1978

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : मैं श्री एच० एन० बहुगुणा की ओर से तेल उद्योग विकास अधिनियम 1974 की धारा 31 की उप धारा (3) के अन्तर्गत तेल उद्योग विकास बोर्ड कर्मचारी (चिकित्सा सुविधा) नियम, 1978 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 9 अगस्त, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 397 (ङ) में प्रकाशित हुए थे। सभा पटल पर रखता हूं

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2669/78]

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड नई दिल्ली का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन से सरकार की सहमति सम्बन्धी विवरण तथा विलम्ब के कारण बताने वाला विरण

श्री रविन्द्र वर्मा : मैं श्री सुरजीत सिंह बरनाला की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति:—

(एक) राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(दो) यह बताने वाला एक विवरण कि उपर्युक्त प्रतिवेदन से सरकार सहमत है और इसलिए निगम के कार्यकरण की पृथक समीक्षा सभा पटल पर नहीं रखी जा रही है।

(2) उपर्युक्त पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी० 2670/78]

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत अधिसूचनायें

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : मैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 9 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सां० आ० 447 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की प्रति, जो दिनांक 14 जुलाई, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा संसदीय तथा विधान -सभाओं निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 की अनुसूची 17 में निर्वाचन क्षेत्रों के आकार में कतिपय संशोधन किए गए हैं।, सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2671/78]

टेनरी एण्ड फुटवेयर कारपोरेशन आफ इंडिया की वर्ष 1976-77 की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन और विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मयती) : मैं श्री जार्ज फर्नान्डीज़ की ओर से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :—

(एक) टेनरी एण्ड फुटवेयर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, कानपुर के वर्ष 1976-77 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) टेनरी एण्ड फुटवेयर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, कानपुर का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2672/78]

वाणिज्य पोत परिवहन अधिनिमय, 1958 के अन्तर्गत अधिसूचनायें

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांदराम) : मैं वाणिज्य [पोत परिवहन] अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

(1) समुद्रगामी जलयान (चालकगण) संशोधन नियम, 1978 जो दिनांक 20 मई, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 655 में प्रकाशित हुए थे।

(2) समुद्रगामी जलयान (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1978 जो दिनांक 3 जून, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 715 में प्रकाशित हुए थे।

(3) वाणिज्य पोत परिवहन (समुद्रगामी जलयानों का पंजीकरण) (संशोधन) नियम, 1978 जो दिनांक 3 जून, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 716 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2673/78]

बाट तथा माप मानक (डिब्बा बंद वस्तुयें) संशोधन नियम, 1976

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : मैं बाट तथा माप मानक अधिनियम, 1976 की धारा 83 की उपधारा (4) के अन्तर्गत बाट तथा माप मानक (डिब्बा बन्द वस्तुएं) संशोधन नियम, 1976 की एक प्रति, जो दिनांक 30 जून, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 347 (ङ) (अंग्रेजी संस्करण) और दिनांक 29 जुलाई, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 347 (ङ) (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2674/78].

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अधिसूचनायें

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मयती) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :—

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) वस्त्र (बुनाई, कढ़ाई, फीता निर्माण तथा छपाई मशीनों द्वारा उत्पादन) नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 1978 जो दिनांक 18 फरवरी, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 431 में प्रकाशित हुआ था।

(दो) सां० आ० 829 जो दिनांक 25 मार्च, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें दिनांक 14 मई, 1977 की अधिसूचना संख्या सां० आ० 1382 में प्रकाशित वस्त्र (बुनाई, कढ़ाई, फीता निर्माण तथा छपाई मशीनों द्वारा उत्पादन) नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 1977 का शुद्धि पत्र दिया हुआ है।

(2) उपर्युक्त अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2675/78]

केन्द्रीय सतर्कता आयोग का वर्ष 1977-78 का प्रतिवेदन और कतिपय मामलों में सरकार द्वारा आयोग की सलाह न माने जाने के कारण बताने वाला विवरण

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) केन्द्रीय सर्तकता आयोग के वर्ष 1977-78 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन में उल्लिखित कतिपय मामलों में सरकार द्वारा आयोग की सलाह न माने जाने के कारण बताने वाला ज्ञापन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2676/78]

रेलवे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों पर उनकी भर्ती सम्बन्धी प्रतिवेदन

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : मैं 30 सितम्बर, 1977 को समाप्त हुए अर्ध वर्ष में रेलवे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की भर्ती और पदोन्नति के लिए आरक्षित रिक्त स्थानों पर उनकी भर्ती तथा पदोन्नति में हुई प्रगति के प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2677/78]

तारांकित प्रश्न संख्या 424 के 14 अगस्त, 1978 के दिये गये उत्तर के शुद्ध करने वाला विवरण

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रविन्द्र वर्मा) : मैं श्री भान प्रताप सिह की ओर से भारतीय खाद्य निगम के डिपुओं के बन्द हो जाने के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 424 के 14 अगस्त, 1978 को दिए गए उत्तर को शद्ध करने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 267/878]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 1944 सीमाशुल्क अधिनियम 1962 के अन्तर्गत अधिसूचनायें, राष्ट्रीय बीमा कम्पनी, कलकत्ता ओरियन्टल फायर एण्ड जनरल इन्सोरेंस कम्पनी लिमिटेड नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदन तथा दस्तावेजों को रखने में हुये विलम्ब से कारण बताने वाले विवरण

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकारुल्ला) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० सां० नि० 403 (ङ) और 404 (ङ) जो दिनांक 9 अगस्त, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा विद्युत् करघों द्वारा निर्मित सती कपड़े की विशिष्ट किस्मों के लिए उत्पाद शुल्क में रियायत संबंधी व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० सां० नि० 405 (ङ) जो दिनांक 14 अगस्त, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा उस अवधि में, जिसमें कि उत्पादित चीनी की फालतू मात्रा पर शुल्क की रियायती दर लागू थी कटौती सम्बन्धी व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2679/78]

(2) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० सां० नि० 396 (ङ) जो दिनांक 7 अगस्त, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 के अन्तर्गत मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ जापानी येन को भारतीय रुपये में और भारतीय रुपए को जापानी येन में बदलने की विनिमय दर सम्बन्धी व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० सा० नि० 998 जो दिनाँक 12 अगस्त 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा कुपरामोनियम स्टेप्पफाइबर (बैम्बर्ग फाइबर) को आयात शुल्क से छूट दिए जाने सम्बन्धी व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा० सां० नि० 999 जो दिनांक 12 अगस्त, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा स्टेनलेम स्टील पर उपलब्ध रियायती सीमा शुल्क सम्बन्धी व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा० सां० नि० 406 (ङ) जो दिनांक 14 अगस्त, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 के अन्तर्गत मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ स्विस फ्रैंक को भारतीय रुपये में और भारतीय रुपये को स्विस फ्रैंक में बदलने की विनिमय दर संबंधी व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा० सां० नि० 412 (ङ) जो दिनांक 16 अगस्त, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 के अन्तर्गत मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ पौंड स्टर्लिंग को भारतीय रुपए में और भारतीय रुपए को पौंड स्टर्लिंग में बदलने की विनिमय दर सम्बन्धी व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2680/78]

(छः) अधिसूचना संख्या 164—सीमा शुल्क और 165—सीमा-शुल्क, जो दिनांक 21 अगस्त, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा भारत से बाहर निर्यात किए गए आभूषणों में इस्तेमाल किए गए सोने की पूर्ति हेतु आयात किए जाने वाले सोने पर सीमा शुल्क से छूट सम्बंधी व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2681/78]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(क) (एक) राष्ट्रीय बीमा कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता का 31 दिसम्बर, 1976 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

(दो) यह बताने वाला एक विवरण कि उपर्युक्त प्रतिवेदन से सरकार सहमत है और इसलिए कम्पनी के कार्यकरण की पृथक समीक्षा सभा पटल पर नहीं रखी जा रही है।

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 2682/78]

(ख) (एक) ओरियन्टल फायर एण्ड जनरल इन्शोरेन्स कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली का 31 दिसम्बर, 1976 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(दो) यह बताने वाला एक विवरण कि सरकार उपर्युक्त प्रतिवेदन से सहमत है और इसलिए कम्पनी के कार्यकरण की पृथक समीक्षा सभा पटल पर नहीं रखी जा रही है।

(4) ऊपर (3) में उल्लिखित दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए देखिए संख्या एल० टी० 2683/78]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 1944 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

श्री जुल्फिकारुल्ला : मैं (क) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) परिष्कृत डीजल तेल, हल्का डीजल तेल और भट्टी तेल पर विदेश यात्रा पर जाने वाले बंकर समुद्रगामी यानों को सप्लाई करते समय देय शुल्क में पूरी छूट देने के बारे में अधिसूचना संख्या 157/78 जो दिनांक 23 अगस्त, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(2) बंकर तटीय यानों को सप्लाई किए जाने वाले भट्टी तेल पर मूल शुल्क को कम करके 16-12-1977 से पूर्व के स्तर पर लाने के बारे में अधिसूचना संख्या 158/78 जो दिनांक 23 अगस्त 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(3) उपर्युक्त दोनों अधिसूचनाओं के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) [ग्रंथालय में रखे गए देखिए संख्या एल० टी० 2684/78]

राज्य सभा से संदेश

MESSAGE FROM THE RAJYA SABHA

सचिव : मैं राज्य सभा से प्राप्त एक संदेश की सूचना देता हूं कि राज्य सभा ने 17 अगस्त, 1978 को अपनी बैठक में अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जन जातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 1978 सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित होने के लिए लोक सभा की सिफारिश से अपनी सहमति प्रकट की और उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिए राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्य नामनिर्दिष्ट किए :—

(1) श्री एन० पी० चौधरी
(2) श्री फणीन्द्र नाथ हंसदा
(3) श्री जगबीर सिंह
(4) श्रीमती जमुना देवी
(5) प्रो० एन० एम० काम्बले
(6) श्री बी० डी० खोबरागड़े
(7) श्री बुद्धप्रिय मौर्य
(8) श्री रोशन लाल
(9) श्री हरकिशन सिंह सरजीत
(10) श्री वी० वी० स्वामीनाथन

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

16 अगस्त, 1978 को सुवर्ण रेखा (बिहार) नदी में फेंके जाने का समाचार

श्री लक्ष्मणराव मानकर (भंडारा) : मैं गृह मन्त्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :–

"जमशेदपुर (बिहार) में 16 अगस्त, 1978 को एक ठेकेदार के गुण्डों द्वारा महिलाओं तथा बच्चों सहित कुछ आदिवासियों के जिन्दा या मुर्दा सुवर्णरेखा नदी में फेंके जाने के समाचार"

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI S. D. PATIL) : The Government deplore the unfortunate incident in Jamshedpur on the 16th August, 1978 in which five persons belonging to the weaker sections of society lost their lives.

2. According to the report received from the Government of Bihar, the Tata Iron & Steel Company Ltd. awards annual contract for the right to pick iron scraps from their slag dumps in Jamshedpur. On the 16th August, men employed by the contractor to guard the slag dump chased away some persons who were picking iron scraps from the dump. Some of them were assaulted and thrown into the nullah which meets the Subarnarekha river about 250 yards from the slag dump. Many managed to swim across the nullah, but some of them got drowned. Two dead bodies were recovered on the 16th itself and three on the following day. Two of the dead belonged to Scheduled Tribes, two to Scheduled Castes and one to a backward class. Further intensive search for bodies resulted in the recovery on the 17th August of one more dead body of a two-year child in a highly decomposed state on the bank of Subarnarekha river. No one has so far come forward to claim this body. According to the State Government, this death does not appear to be connected with the previous day's incident.

3. The Police reached the spot immediately on receipt of information and could effect some arrests then and there. The Commissioner, Additional IGP (CID), Deputy Commissioner, D.I.G., S.P. and other senior revenue and police officials have also since visited the spot. A case under section 148/149/302/201/109 I.P.C. was registered against the contractor's men. Office premises of the contractor were raided on the same day and some ammunition kept there unauthorisedly was recovered. A case under the Arms Act was, therefore registered. In all, 22 persons have been rounded up so far in connection with these two cases. Processes for compelling the attendance of two absconders have been obtained from the court and their property has been attached. The action of the local administration following the incident was quick and effective and relief to the affected families was provided in cash and kind.

4. The Chief Minister has announced ex-gratia grant of Rs. 5,000 to each of the bereafed families.

5. The situation is reported to be under control and returning to normal. However, there are certain implications of this incident, such as the contractual system of disposal of these items, the suitability of such a system in a tribal area involving relationship with the tribes and their exploitation and the policy of the Undertaking towards the disposal of slags, which require attention. Government have there issues under consideration.

SHRI LAXMAN RAO MANKAR : I want to know the name of the contractor and whether he has been arrested or not. I also want to know whether he is a benami contractor or authorised one.

Certain arms are stated to have been found at the residence of the contractor. Will the Hon. Minister give the details of the arms found there ?

श्री एस० डी० पटिल : 17 अगस्त के एक दो वर्षीय बच्चे की लाश मिली थी जिसका इस घटना से कोई सम्बन्ध नहीं था ।

श्री ए० के० राय : मंत्री महोदय इस घटना के बारे कुछ नहीं जानते ।

सभापति महोदय : कृपया आप अपना स्थान ग्रहण कर लें और मंत्री को बोलने दें ।

SHRI A. K. ROY : You should call the Prime Minister. This is a serious issue.

सभापति महोदय : मैं अध्यक्ष की भांति नहीं हूं और इस प्रकार बीच बीच में बोलना बर्दाश्त नहीं कर सकता ।

श्री के० गोपाल (करुर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । आपने यह कह कर कि मैं अध्यक्ष की भांति नहीं हूं, अध्यक्ष महोदय पर अक्षेप किया है ।

सभापति महोदय : मेरा तात्पर्य यह था कि अध्यक्ष महोदय सहनशील हैं और ख्यातिप्राप्त न्यायाधीश रहे हैं ।

श्री एस० डी० पाटिल : मैंने श्री मान्यवर के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा था कि बच्चे की लाश के मिलने का इस घटना से कोई सम्बंध नहीं था। प्रतीत होता है कि श्री सच्चिदानंद मिश्र एक बेनामी ठेकेदार थे और असली ठेकेदार जमशेदपुर के श्री शिवजी सिंह हैं। श्री शिवजी सिंह और उनके भतीजे श्री भरत सिंह वारंट जारी होने के बाद फरार हैं। राईफल की 26 गोलियां उसके घर पर मिलीं और 16 अगस्त को उनके विरुद्ध सकची पुलिस स्टेशन में केस भी दर्ज किया गया है। असली ठेकेदार श्री शिवजी सिंह है (**व्यवधान**) ।

SHRI YAGYA DATT SHARMA (Gurdaspur) : Will the Hon. Minister order an high level judicial enquiry into this incident so that the facts are brought to light ? I also want to know the steps taken to restrain such criminals from committing such ghastly crimes.

श्री एस० डी० पाटिल : न्यायिक जांच की मांग तो राज्य सरकार पर निर्भर करेगी। राज्य सरकार के पदाधिकारियों ने इस मामले में तुरन्त कार्रवाई की है। इसके अलावा, बिहार के मुख्य मंत्री ने प्रत्येक प्रभावित परिवार को 5000 रु० का अनुदान देने की घोषणा की है। दो मामले दर्ज किए जा चुके हैं। प्रत्येक प्रभावित परिवार को 100 रु० नकद, साड़ी, 15 दिन का राशन, नमक, दियासलाई आदि तत्काल राहत के रूप में दिए गए हैं। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के चेयरमैन सहित सभी जिम्मेदार अधिकारियों ने वहां का दौरा किया है और उपर्युक्त राहत वितरित की गई हैं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी जवाब दे हे हैं लेकिन वे व्यक्ति जिनके नाम यहां नहीं हैं, बराबर व्यवधान पैदा कर रहे हैं। यह नहीं होना चाहिए। श्री राय मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दूंगा। कृपया बैठ जाएं।

प्रधान मन्त्री (श्री मोरार जी देसाई): इस मामले में उत्तेजना को मैं समझता हूं। लेकिन यह भी है कि तुरन्त कार्रवाई की गई है, कुछ लोग गिरफ्तार किए गए हैं और राहत दी जा रही है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए नियुक्त आयोग के अध्यक्ष ने इस बारे में स्वयं मुझे सूचित किया है और उन्होंने भविष्य के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं। अतः, यह नहीं कहा जा सकता कि उचित और तत्काल कार्रवाई नहीं की गई है।

श्रीमती अहिल्या रांगनेकर (बम्बई उत्तर मध्य) : उन्होंने कहा, वे फरार हैं।

श्री मोरारजी देसाई : उन्हें केवल गिरफ्तार ही नहीं किया गया बल्कि उनकी सम्पत्ति भी जब्त कर ली गई ।

श्री पी० के० कोडियन (अदूर) : माननीय प्रधान मंत्री तथा गृह मंत्री से यह सुन कर आश्चर्य होता है कि तत्काल कार्रवाई की गई है। कुछ अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, मारे गए व्यक्तियों के परिवारों को कुछ मुआवजा दे दिया गया है—, बस यही तुरन्त कार्रवाई की गई है। मुख्य बात यह नहीं है बल्कि यह है

कि बिहार सरकार जमींदारों तथा शोषक वर्गों के अत्याचारों से हरिजनों तथा आदिवासियों की रक्षा करने में पूरी तरह असफल रही है।

आपको मालूम है कि बेलची हत्याकाण्ड पर सदन में तथा सदन के बाहर कितना रोष व्यक्त किया गया था और आशा की गई थी कि अब बिहार में स्थिति कुछ सुधरेगी लेकिन उसके बाद भी, उसी तरह की कितनी ही छोटी-छोटी घटनाएं वहां हो चुकी हैं। पिछले वर्ष 10 जून को जमींदार लोग हरिजनों को जबरन ले गए, उन्हें एक स्कूल में बन्द कर दिया, सड़कों पर उन्हें घुमाया तथा उनकी गर्दनों को रस्सी से कस दिया गया। बिहार सरकार द्वारा समिति ने भी इस घटना की भर्त्सना की है ।

इसके बाद धरमपुरा काण्ड हुआ जिसमें तीन शिक्षित युवकों समेत चार हरिजनों को स्थानीय महन्त ने गोली मार दी।

बाद में हुआ विश्रामपुर काण्ड जो दूसरा बेलची हत्याकाण्ड साबित हुआ। एक स्थानीय हरिजन नेता के वृद्ध माता-पिता को घर से घसीट कर बाहर लाया गया, उन्हें गोली मारी गई और उन्हें आग में फैंक दिया गया। इसी तरह, सुवर्णरेखा काण्ड भी एक अकेली घटना नहीं कही जा सकती। केन्द्रीय सरकार की ठीक नाक के नीचे —कंझावला ग्राम में भी यही सब हो रहा है।

आज ही मुझे एक रिपोर्ट मिली है कि 21-8-78 को हरियाणा के एक गांव में जमींदारों ने हरिजन बस्ती पर राइफलों तथा फरसा से हमला करके बहुत से हरिजनों को मौत के घाट उतार दिया। अपराधी लोग खुले आम घूम रहे हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपना प्रश्न पूछें।

श्री पी० के० कोडियन : मैं आपको यह बता रहा हूं कि देश में स्थिति कितनी गंभीर होती जा रही है। कंझावला सत्याग्रह ने एक नया मोड़ ले लिया है। आशंका यही है कि कंझावला काण्ड की चिंगारी, जो अभी बुझी नहीं है, आगे और भड़क सकती है ....

सभापति महोदय : आप जो कुछ कह रहे हैं, वह अवश्य ही अत्यधिक महत्वपूर्ण है और हम सब आपके साथ हैं। लेकिन यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सामान्य चर्चा के लिए नहीं है, इसलिए आप इस प्रस्ताव के विषय तक ही सीमित रहें और उससे संबंधित प्रश्न पूछें।

श्री पी० के० कोडियन : इन सब बातों को देखते हुए, माननीय प्रधान मंत्री से मैं जानना चाहूंगा कि कमजोर वर्गों की रक्षा करने के बारे में केन्द्र के संविधानिक दायित्व का निर्वाह कैसे हो सकता है ?

एक माननीय सदस्य : आपका प्रश्न क्या है ?

श्री पी० के० कोडियन : मेरा प्रश्न यह है कि क्या अब वह समय नहीं आ गया है कि जब कोई राज्य सरकार, जैसे कि बिहार, स्थिति पर काबू न पा सके तो वहां केन्द्र द्वारा हस्तक्षेप किया जाए ? परिपत्र तथा निदेश मात्र भेजने के अलावा क्या केन्द्र को और कुछ नहीं करना चाहिए ?

मेरा दूसरा प्रश्न यह है : अपने उत्तर में माननीय मंत्री, श्री पाटिल ने कहा है कि ठेकेदार के निवास से कुछ गोला बारूद तथा कुछ अन्य हथियार बरामद किए गए। अधिकांश घटनाओं में, जिनमें हरिजनों और आदिवासियों की हत्या की गई, बन्दूकों का इस्तेमाल किया गया था न कि लाठियों का। तो क्या सरकार उन जमींदारों के लाइसेंस जब्त करने तथा उनकी बंदूकों को कब्जे में लेने के लिए तैयार है ?

श्री एस० डी० पाटिल : श्री कोडियन ने दो विशिष्ट प्रश्न पूछे हैं : एक तो यह कि राज्य की संविधानिक जिम्मेवारी क्या है और यह कि क्या उस विशेष मामले में बिहार सरकार अपने कर्त्तव्य का तुरंत निर्वाह करने में असफल रही है ? मेरा जवाब यह है कि बिहार राज्य सरकार ने बहुत मुस्तैदी से कार्रवाई की है। प्रातः 12 बज कर 10 मिनट पर अपराध दर्ज किया गया था और कई जिम्मेदाराना अधिकारियों ने घटना स्थल का दौरा किया और उसके तत्काल बाद ही 22 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया —दो फरार हैं ...

मुख्य मंत्री ने प्रत्येक शोक संतप्त परिवार को 5000 रु० दिए जाने की मंजूरी दी है। कपड़े, खाद्यान्न आदि भी दिया है। अतः मानवीय दृष्किोण से यह बहुत मुस्तैद कार्रवाई है।

दूसरे, हम ऐसा महसूस नहीं करते कि राज्य सरकार ने उक्त मामले में कोई विलंब किया। उनकी कार्रवाई काफी सराहनीय है जिसकी पुष्टि श्री भोला पासवान शास्त्री ने भी की है।

उनका दूसरा प्रश्न बन्दूक लाइसेंसों को रद्द करने के बारे में है। इस मामले में हमने पाया है कि उनके अनधिकृत कब्जे में 26 राउण्ड पाए गए। उनका लाइसेंस था या नहीं, इसकी जांच पुलिस करेगी। पुलिस ने शस्त्र अधिनियम के अधीन एक मामला पहले ही दर्ज कर लिया है। लाइसेंसों को दुरुपयोग के मामलों में सरकार अवश्य ही आवश्यक कार्रवाई करेगी।

सभापति महोदय : अब मैं अगले विषय पर आता हूं — लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना। श्री नरसिंह राव।

श्री ए० के० राव : महोदया, मैं व्यवस्था के प्रश्न पर हूं।

Mr Chairman : No, you cannot speak.

(*Interruptions*) : We shall go by the rules.

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

84वां और 85वां प्रतिवेदन

श्री पी० वी० नारसिंह राव (हनमकोंडा) : मैं लोक-लेखा समिति की निम्नांकित रिपोर्टें प्रस्तुत करता हूं :

(1) वित्त मंत्रालय से संबंधित चौवालीसवीं रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में चौरासीवीं रिपोर्ट

(2) आय-कर की चौथी रिपोर्ट में निर्दिष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में पचासीवीं रिपोर्ट।

सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS

आठवां प्रतिवेदन

डा० बापू कालदाते (औरंगाबाद) : मैं, सदन की कार्यवाही से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति की आठवीं रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूं।

SHRI SHANKAR DEO (Bihar) : You will have to listen to me. Why are such atrocities being perpetrated on Harijans? Landlords, Brahmins, Kshatriyas etc. have got encouraged and so they are committing atrocities against Harijans and tribals.

MR. CHAIRMAN : You may please sit down. Shri Ram Vilas Paswan.

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILL AND RESOLUTIONS

SHRI RAM VILAS PASWAN (Hajipur) : Mr. Chairman, I beg to present the Twenty-Third Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions.

विदेश मंत्री की जापान और कोरिया यात्रा के बारे में वक्तव्य

STATEMENT *RE*. VISIT OF MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS TO JAPAN AND THE REPUBLIC OF KOREA

विदेश मंत्री (श्री अटलबिहारी वाजपेयी) : विदेश मंत्री के पद का कार्यभार संभालने के बाद इस सदन में अपने पहले विस्तृत वक्तव्य में मैंने जापान की जीवंतता और उसके महत्व को पहचानने पर विशेष बल दिया था जिस पर पहले हमने उतना ध्यान नहीं दिया था। उस अवसर पर मैं इस सदन में जब वक्तव्य दे रहा था,

उसी समय जापान का यह संदेश मुझे मिला था कि जापान के विदेश मंत्री महामान्य श्री हतोयामा जुलाई 1977 में भारत की यात्रा पर आना चाहते हैं। उनकी भारत यात्रा के दौरान ही यह निश्चय हुआ था कि दोनों ओर के विदेश कार्यालयों के बीच वार्षिक परामर्श के स्तर को बढ़ा कर विदेश मंत्री स्तर का कर दिया जाना चाहिए। इस निश्चय के अनुरूप जापान और भारत के विदेश मंत्रियों के बीच मंत्री-स्तर की बातचीत के पहले दौर का शुभारम्भ करने के लिए जापान के विदेश मंत्री महामान्य श्री सोनोदा के निमंत्रण पर 14 से 17 अगस्त तक टोकियो की यात्रा करके मुझे बहुत खुशी हुई।

2. इस यात्रा से भारत और जापान की यह परस्पर सहमति परिलक्षित हुई कि एशिया के प्रमुख लोक-तांत्रिक राज्यों के रूप में दोनों देश समस्त एशिया की शान्ति, आर्थिक विकास और प्रगति में गहरी अभिरुचि रखते हैं। इन वार्षिक परामर्शों का प्रमुख उद्देश्य जापान के साथ अपने बहुपक्षीय सम्बन्धों को इस तरह सुदृढ़ बनाना है जिससे हमारे दोनों देशों को परस्पर लाभ पहुंचे। यह स्पष्ट है समूचे एशिया के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो भारत के लिए यह आवश्यक है कि कि वह पूर्व एशिया के सभी देशों के साथ निकटतर सद्भाव और मित्रता के लिए कार्य करे। जापान की भी दिलचस्पी इसी बात में है कि इस क्षेत्र में तनाव बना हुआ है वह कम हो और इसके सभी देशों के बीच मित्रतापूर्ण सम्बन्ध विकसित हों।

3. जापान के विदेश मंत्री के साथ बातचीत में हमने पारस्परिक अभिरुचि के अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर विचार-विनिमय किया जैसे कि एशिया की स्थिति, मध्यपूर्व और दक्षिण अफ्रीका की स्थिति, निरस्त्रीकरण, नाभिकीय ऊर्जा के शान्तिपूर्ण उपयोग, उत्तर-दक्षिण समस्या, औद्योगीकृत राष्ट्रों का बोन्न शिखर-सम्मेलन, गुट-निरपेक्ष आन्दोलन और जापान तथा भारत के बीच द्विपक्षीय सम्बन्ध। जहां तक एशिया की स्थिति का प्रश्न है, हम इस बात पर सहमत थे कि इस क्षेत्र में तनाव कम करके स्थिरता बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि इस क्षेत्र के सभी देशों की तीव्रता आर्थिक प्रगति और विकास सुनिश्चित हो सके। हमने यह महसूस किया कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जापान और भारत विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के साथ सहयोग कर सकते हैं।

4. यह एक संयोग ही था कि जापान के विदेश मंत्री श्री सोनोदा जापान और चीन के बीच शान्ति और मित्रता संधि पर 12 अगस्त 1978 को हस्ताक्षर करके मुझसे एक ही दिन पहले टोकियो पहुंचे थे। श्री सोनोदा ने अपनी बातचीत और संधि के विषय में मुझे बताया। उनकी बात से हमने यह समझा कि इस संधि में दोनों देशों ने यह वचन लिया है कि वे शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के सुविदित सिद्धांतों और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के आधार पर जापान और चीन के बीच मित्रतापूर्ण सम्बन्ध स्थापित करेंगे। उन्होंने इस संधि के उस विशिष्ठ अनुच्छेद की ओर भी मेरा ध्यान आकर्षित किया जिसमें यह व्यवस्था निहित है कि इस संधि से संविदाकारी किसी भी पक्ष के किसी तीसरे देश के साथ सम्बन्धों की स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जापानी पक्ष ने यह बात विशेष रूप से हमें बताई कि नेतृत्व सम्बन्धी विवादास्पद धारा को इसी संदर्भ में समझा जाना चाहिए। प्रधान मंत्री ताकियो फुकुदा का 12 अगस्त का यह वक्तव्य भी उल्लेखनीय है कि जापान की बुनियादी नीति यह है कि किसी भी देश के साथ शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध विकसित न होने दिए जाएं और सभी राष्ट्रों के साथ शान्तिपूर्ण और मित्रतापूर्ण सम्बन्ध विकसित करने की कोशिश की जाए। मेरे साथ बातचीत में विदेश मंत्री श्री सोनोदा ने भी इसी विचार को दोहराया।

5. जैसा कि माननीय सदस्य जानते भी हैं स्वयं हमारी विदेश नीति सभी देशों के साथ द्विपक्षीय सम्बन्धों के सिद्धान्त पर, चाहे उनके आर्थिक और सामाजिक तंत्र भिन्न ही हों, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धांतों पर और हमारी इस दृढ़ आस्था पर आधारित है कि किसी भी देश के साथ हमारा सहयोग किसी तीसरे देश के साथ हमारे सम्बन्धों के विकास के मार्ग में बाधा नहीं बनना चाहिए। मैंने यह आशा व्यक्त की कि यह संधि जो कि जापान और चीन के बीच एक द्विपक्षीय मामला है, शान्ति और स्थिरता का मार्ग प्रशस्त करेगी और इस क्षेत्र में किसी नए तनाव का कारण नहीं बनेगी। इसके अतिरिक्त, हम यह भी उम्मीद रखते हैं कि इस संधि पर इस तरह अमल किया जाएगा कि कतिपय क्षेत्रों में गलतफहमियां पैदा हो गई हैं वह दूर हो जाएंगी।

6. जापानी पक्ष ने अपने पड़ोसियों के साथ सम्बन्ध सुधारने की हमारी नीति को पूरी तरह समझा और आज हमारे उपमहाद्वीप में सहयोगपूर्ण सम्बन्धों का जो वातावरण विद्यमान है उसके लिए भारत के योगदान की सराहना की।

7. जापानी पक्ष ने हाल ही में सम्पन्न बेलग्राद सम्मेलन में, जिसमें उस व्यापक दिशा-निर्देश की पुष्टि की गई थी जिसका इस आन्दोलन को आगामी वर्षों में अनुसरण करना चाहिए, भारत की भूमिका पर भी गौर किया।

8. जैसा कि सदस्यों को विदित है जापान ने भारत के आर्थिक विकास में कई प्रकार से महत्वपूर्ण योगदान दिया है और वह हमारे प्रमुख व्यापारिक साझेदारों में से एक है। इसलिए द्विपक्षीय मामलों पर विचार विमर्श में द्विपक्षीय सहयोग के हमारे विभिन्न क्षेत्रों के बारे में की गई समीक्षा पर सन्तोष प्रकट किया गया। हम दोनों इस बात पर सहमत थे कि आर्थिक क्षेत्र में अपने संबंधों को हमें और अधिक संवर्द्धित करना चाहिए और जहां कहीं संभव हो तीसरे देशों में संयुक्त उद्यमों की स्थापना को और अधिक प्रोत्साहित करना चाहिए। हम इस पर भी सहमत थे कि हमें सांस्कृतिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी क्षेत्रों में आदान-प्रदान को बढ़ाना चाहिए। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विभिन्न उपयुक्त स्तरों पर अधिकारी स्तर की बातचीत पहले से ही चल रही है और और यह प्रक्रिया निस्संदेह जारी रहेगी। इस बात पर सहमति हुई कि मंत्री स्तर की बातचीत का दूसरा दौर दोनों पक्षों में परस्पर सहमत तारीखों को अगले वर्ष दिल्ली में होगा और मैंने इस प्रयोजन के लिए विदेश मंत्री सोनोदा को दिल्ली आने का नियंत्रण दिया। उन्होंने मेरे इस नियंत्रण को सहर्ष स्वीकार कर लिया।

9. टोकियो में मैंने जापान के प्रधान मंत्री महामान्य श्री फुकुदा और वित्त, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और उद्योग, निर्माण और विदेश आर्थिक कार्य के मंत्रियों से भी मुलाकात की। प्रधान मंत्री फुकुदा ने भारत-जापान संबंधों को एक दिली समझौते की संज्ञा दी और यह कहा कि वे परस्पर सुविधाजनक समय पर भारत यात्रा की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। जापान में मुझे शिक्षाविदों और बौद्धिक व्यापारिक तथा अन्य विभिन्न वर्ग के लोगों से भेंट करने का अवसर मिला जिन्होंने भारत में अपने समकक्ष वर्गों के लोगों के साथ अपने-अपने क्षेत्रों में भारत के साथ संपर्क बढ़ाने की तीव्र इच्छा प्रकट की। जापान के वाणिज्य और उद्योग मंडलों के संघ और भारत-जापान संघ, जिनके कार्यकलापों का निर्देशन जापान के प्रसिद्ध संसद सदस्यों द्वारा किया जाता है, ने मेरे सम्मान में स्वागत समारोह किया।

10. 17 से 19 अगस्त तक मैंने विदेश मंत्री, श्री तोंग जिन पार्क के निमंत्रण पर कोरिया गणराज्य की यात्रा की। जैसा कि सदस्यों को ज्ञात है, कोरिया गणराज्य अपने ही प्रयत्नों के जरिए एशिया की एक प्रमुख आर्थिक शक्ति बन गया है जिसकी निर्यात आमदनी 10 अरब अमरीकी डालर तक पहुंच गई है। आज कोरिया का स्थान दुनिया के सबसे बड़े निर्यातकों में सत्रहवां है जबकि सिर्फ पन्द्रह वर्ष पहले उसका स्थान अट्ठासीवां था। कोरिया गणराज्य पश्चिम एशिया में बड़े पैमाने पर निर्माण परियोजनाओं को पूरा करने का काम भी अधिकाधिक ले रहा है। द्विपक्षीय आर्थिक सम्बन्धों को संवर्द्धित करने तथा तीसरे देशों में संयुक्त रूप से इस प्रकार काम करने की उत्साहजनक संभावनाएं हैं जो कि उक्त देशों के साथ भारत और कोरिया गणराज्य के लिए भी लाभदायक हों। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि कोरिया गणराज्य अन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं सहयोग के लिए, विशेष रूप से गुट-निरपेक्ष आन्दोलन और हमारे उपमहाद्वीप के संदर्भ में, भारत के योगदान की सराहना करता है। बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के, सीधी द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से कोरिया के शांतिपूर्ण एकीकरण के सम्बन्ध में हमारे दृष्टिकोण को कोरिया गणराज्य तथा कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य ने पूर्ण रूप से समझा है तथा इसकी सराहना की है। इस मसले पर हमारे विचार को दोनों पक्षों द्वारा शांतिपूर्ण एकीकरण के अन्तिम लक्ष्य की दिशा में सहायक समझा गया है और उक्त लक्ष्य की प्राप्ति ही कोरिया के सभी लोगों की अभिलाषा है।

11. कोरिया गणराज्य की यह हार्दिक इच्छा है कि भारत के साथ सांस्कृतिक सम्बन्धों को और बढ़ाया जाए। इसका प्रमाण मुझे मिला सिओल के निकटवर्ती विदेशी भाषा विश्व विद्यालय में, जिसका हिन्दी भाषा विभाग बहुत सक्रिय है और वहां कोरिया के लगभग 140 छात्र आधुनिक दृश्य-श्रव्य पद्धति से हिन्दी सीख रहे हैं।

12. सिओल में मैं कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति श्री पार्क चुंग ही से तथा प्रधान मंत्री महामान्य श्री चोय क्यू हाह और उप प्रधान मंत्री महामान्य श्री डक वू नाम से मिला और वहां के विदेश मंत्री महामान्य श्री तांग जिन पार्क के साथ मेरी बातचीत हुई।

13. अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि इन दोनों देशों की हार्दिक मित्रता और भारत के प्रति इनके सम्मान-भाव ने मुझे प्रभावित किया । हमारे बीच अनेक क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाएं विद्यमान हैं और मुझे आशा है कि हम इस प्रक्रिया में अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं।

दिल्ली पुलिस अध्यादेश, 1978 निरनुमोदन संबंधी सांविधिक संकल्प—जारी

और

दिल्ली पुलिस विधेयक 1978 —जारी

STATUTORY RESOLUTION RE. DISAPPROVAL OF POLICE ORDNANCE—*Contd.* AND DELHI POLICE BILL 1978—Contd.

सभापति महोदय: अब यह सदन श्रीमती पार्वती कृष्णन द्वारा 17 अगस्त 1978 को प्रस्तुत किए गए सांविधिक संकल्प पर आगे चर्चा करेगा, अर्थात्:

"यह सदन राष्ट्रपति द्वारा 1 जुलाई, 1978 को प्रख्यापित दिल्ली पुलिस अध्यादेश, 1978 (1978 का अध्यादेश सं० 2) का निरनुमोदन करता है।"

अब केवल 2 घंटे 15 मिनट का समय बाकी है। श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी पहले ही छः मिनट ले चुके हैं, वह पांच मिनट और बोल सकते हैं।

श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी (आगरा): यदि हमें पुलिस विधेयक का उचित मूल्यांकन करना है तो इस पर हमें पुलिस ड्यूटीज़ के स्वरूप और क्षेत्र जिन हालात तथा वातावरण में उन्हें काम करना पड़ता है उनके तथा इन बातों के परिप्रेक्ष्य में विचार करना होगा कि उनका आधारभूत लक्ष्य क्या है तथा यह विधेयक सही दिशा में एक कदम है या नहीं।

लोक तथा सामाजिक शांति पुलिस पर ही निर्भर करती है । अक्सर पुलिस को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है जिसमें सख्त कार्रवाई आवश्यक हो जाती है और जिसके परिणामस्वरूप उन्हें लोक भर्त्सना का शिकार बनना पड़ता है। इसलिए जनसाधारण का विश्वास प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि पुलिस अपनी संचालन दक्षता बढ़ाए और लोगों की दृष्टि में उसकी जो धारणा है, उसमें सुधार करे।

बम्बई में पुलिस आयुक्त प्रणाली सफलतापूर्वक काम कर रही ह । इस नई प्रणाली के अन्तर्गत, आयुक्त विधि तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीधे ही जिम्मेवार है और वह विधि तथा व्यवस्था और उससे संबंधित अन्य मामलों में कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करता है जिसका इस्तेमाल सामान्यतया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है । न्यायिक शक्तियों का प्रयोग मैट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट करता है । यहां प्राधिकार के बारे में दोनों के बीच कोई भ्रांति नहीं रह जाती जबकि मौजूदा प्रणाली में बहुत ही जनशक्ति बेकार जाती है तथा जो काम एक उच्च अधिकारी कर सकता है, उसके लिए दो-दो अधिकारी लगाए जाते हैं।

पुलिस के काम में सुधार व उन्नति के लिए लोगों का सहयोग भी अत्यावश्यक है।

अध्यक्ष महोदय: श्री एडुआर्डो फैलीरो।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर): मुझे जाना है, इसलिए मैं अपने मित्र से निवेदन करता हूं कि पहले मुझे बोलने दें।

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागोआ): मैं सहमत हूं।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, आप बोल सकते हैं।

SHRI KANWARLAL GUPTA (Delhi-Sadar): Mr. Speaker, Sir, I want to congratulate the hon. Minister for bringing such a Bill as would help improve law and order situation in Delhi. The Old Delhi Police Act, which is still there, it is out-dated and out-moded. I am happy that it is being replaced.

Khosla Commission set up in 1966 had made certain recommendations in its report submitted in 1968. But, so far, no action could be taken on those recommendations. It is a matter of pleasure that after a lapse of ten years, one big recommendation regarding the introduction of police commissioner system in Delhi is being implemented. I hope, it would help a lot since you are going to set-up a unified authority by abolishing

the dual control. But, I may say that you have given too much authority under some sections, such as section 31 which says that a Head Constable can dismiss any assembly or any meeting. I feel that it is not proper to give such wide powers to a Head Constable. The Police Commissioner has been given very wide powers which are more than necessary. The most obnoxious provision of the Bill is that the Police Commissioner has been empowered to make any regulations or alter or rescind them, without any publication and such orders shall come into force at once. It is wrong to empower the Police Commissioner to enforce or alter or rescind any rules or regulations without any publication. Similarly, the clause 32 of the Bill empowers the Police Commissioner to prohibit anyone to carry on his trade or vocation if it causes discomfort or annoyance to any persons who live in or occupy any property in the vicinity. Our experience of the last two or three months after setting up the institution of Police Commissioner is that there has been no change in the basic outlook of Police. The Police officers should be given re-orientation training and their mobility should be improved. The entire system has got to be modernised. Measures should be taken to bring about radical change in their basic outlook.

श्री एडुआर्डो फलीरो (मारमागोआ) : यह कहना दुर्भाग्य की बात है, परन्तु यह सच है कि गत कई महीनों में कानून और व्यवस्था की स्थिति विशेषकर दिल्ली में बिगड़ गई है । परन्तु जिस समाधान का सुझाव दिया गया है वह यह है कि हिंसा का मुकाबला हिंसा से किया जाना चाहिए और पुलिस को हिंसा फैलाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के लिए अधिक शक्ति दी जानी चाहिए। इससे स्थिति और भी बिगड़ जाएगी। वास्तव में हिंसा के कारणों और उसके पीछे सामाजिक कारणों का विश्लेषण करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है । दिल्ली पुलिस को अधिक शक्तियां देकर कानून और व्यवस्था की स्थिति का समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है जबकि पुलिस इन शक्तियों की हकदार नहीं है । मैं खोसला आयोग या अन्य अनेक आयोगों से सहमत हूं जिन्होंने दोहरे नियंत्रण एक ओर जिला मजिस्ट्रेट और दूसरी पुलिस महानिरीक्षक की निन्दा की है । उनका कहना है कि यह ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहा है और इनमें आपस में कोई समन्वय नहीं है । यदि तकनीकी रूप से ठीक हो तो जिला मजिस्ट्रेट का पद समाप्त कर दिया जाए, परन्तु पुलिस दल के किसी भी व्यक्ति को पुलिस आयुक्त न नियुक्त किया जाए और वह एक सिविलियन होना चाहिए । पुलिस दल से किसी व्यक्ति को पुलिस आयुक्त बनाने का बहाना या औचित्य यह है कि वह एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी होगा । परन्तु इससे समस्या का समाधान नहीं होगा क्योंकि बहुत से पुलिस महानिरीक्षक पुलिस कांस्टेबलों तथा अन्य अधीनस्थ कर्मचारियों से पदोन्नति के लिए रिश्वत लेते हैं तथा धन एकत्रित करते हैं। अतः पुलिस को इतनी विशाल शक्तियां नहीं दी जानी चाहिएं क्योंकि उनका दुरुपयोग होने की बहुत सम्भावना है।

वह उस व्यक्ति को निकाल सकते अथवा गिरफ्तार कर सकते हैं जिसकी गतिविधियों से किसी व्यक्ति अथवा सम्पत्ति को खतरे की आशंका हो, और कोई भी व्यक्ति उसके क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकता । मुझे सन्देह है कि इन शक्तियों का दुरुपयोग किए जाने की आशंका है।

उच्च न्यायालय के प्रसिद्ध न्यायाधीश श्री आनन्द नारायण मुल्ला ने कई वर्ष पूर्व कहा था कि किसी भी संगठन में इतना भ्रष्टाचार नहीं है जितना भारतीय पुलिस में है। उनका कथन आज भी सत्य है । यह मामला भ्रष्टाचार का ही नहीं है अपितु अक्षम व्यक्तियों का भी है । आपातकाल के दौरान पुलिस को असीम शक्तियां उपलब्ध थीं। सभी जानते हैं कि किस प्रकार जिला मजिस्ट्रेटों ने कोरे वारंटों पर हस्ताक्षर किए थे । बहुत से सदस्यों को पुलिस की शक्तियों का अनुभव होगा। यदि पुलिस आयुक्त को असीमित शक्तियां दी जातीं हैं तो उनका दुरुपयोग होगा ही। हम इस विधेयक का समर्थन नहीं कर सकते ।

SHRI RAMANAND TIWARY (Buxar) : The Police Force is essential for the maintenance of law and order in the country, but it is not fair to give them unlimited powers. Our police force has not been able to become democratic and conducive to social welfare even after 30 years of our independence. It is contemplated that there would be radical change in the set-up of police force, but it is disappointing to find that no change had come about in their functioning. It is quite right that everyone in the police force, right from the police constable to Police Commissioner is recognised as an officer, but one could not understand why such wide and unlimited powers have been given to them. Under clause 21, a Police Commissioner could award punishment to any subordinate officer, but there is no mention as to what kind of punishment would be given for a particular offence. The Police Commissioner should not be vested with such unlimited powers. It is proposed that the Police Commissioner could appoint anybody for maintaining law and order. Here, the minimum age for that person had not

specified but the maximum age limit has not been mentioned. So, I have given notice of an amendment to prescribe this maximum age limit as 50 years. He has also suggested that this Bill be referred to Select Committee for thorough examination and it should not be rushed through in haste.

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : जब कि दिल्ली को राज्य का दर्जा देने का विधेयक पुरःस्थापित किया गया है तब यह पृथक विधेयक क्यों लाया गया है ।

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : राज्य का दर्जा नहीं केवल विधान सभा ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : कलकत्ता में पुलिस आयुक्त के होते हुए भी सैंकड़ों व्यक्ति मारे गए । किसी भी नगर में पुलिस आयुक्त की नियुक्ति से कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार नहीं हुआ ।

बंगाल में हमने पुलिस कर्मचारियों का संगठन बनाने की अनुमति दी है। हम उन्हें मानव मानते हैं जिससे कि वे अपराधियों को पकड़ने का कार्य कर सकें। जनता पार्टी के सत्तारूढ़ होने के बाद कानून और व्यवस्था की स्थिति और भी बिगड़ी है। इण्डियन एक्सप्रेस में प्रकाशित समाचार के अनुसार अपराधों में 35 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

मेरा सुझाव है कि पुलिस पूर्ण राज्य के अन्तर्गत सेवा करे ।

पुलिसमैनों की शिकायतों पर व्यावहारिक रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए ।

SHRI KISHORE LAL (East-Delhi) : It is feared that more difficulties will be created if the police is given more powers. In our country there are only two systems of police functioning. One is the system of Police Commission and the other is what was operative in Delhi prior to that.

Delhi is inhabited by all classes of people and they all have to deal with police. So it is natural that every body is interested in the administrative set-up of Delhi. The proposal for introducing the system of Police Commissioner for Delhi has been under consideration for the last ten years. Now the hon. Minister has decided in favour of the proposal and the matter was referred to officers for giving concrete shape to the proposal.

This Bill has been framed in a hurry because Ordinance has to be issued to introduce the Police Commissioner system in Delhi. Most of the provisions of the Bombay Police Act have been incorporated in this Bill. Delhi had its own individuality and problems. Therefore this Bill should have been framed in a manner so as to cater to the needs of Delhi.

Delhi faced great traffic problem, but the enforcement of the Motor Vehicles Act has not been brought under the new police set-up. Also the police has not been given more powers to tackle the problem of eve teasing in Delhi.

Delhi has its own problems because of the floating population because of industrialisation. All these factors should be taken into consideration. If summons in criminal cases are to be removed through the police constables. Their number must be increased. It is physically impossible for one person to execute 500 summons.

In resettlement colonies in Delhi there is illicit distillation of liquor on a wide scale. The Bill gives no power to the police to deal with this problem. The Excise Commissioner would look into this problem. Thus this Bill would not help in tackling the law and order problem in Delhi.

We should bring about changes in the Bill so that police in Delhi could become an effective instrument of service to the people. Also the police should be able to tackle the special problems of Delhi.

श्री वयालार रवि (चिरंपिकील) : विधेयक में दिल्ली पुलिस को सर्वाधिकार देना अलोकतन्त्रिक है। दिल्ली देश की राजधानी है और सभी राज्यों एवं क्षेत्रों के लोग यहां पर रहते हैं । उन्हें सरकार द्वारा तथा प्रशासन द्वारा संरक्षण मिलना चाहिए । यह बात सर्वविदित है कि दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि स्थिति नियंत्रण से बाहर है। मैं जानना चाहता हूं कि दिल्ली को दर्जा मिलने पर वर्तमान विधेयक की क्या स्थिति होगी ? वैसे दिल्ली को राज्य का दर्जा देना देश के हित में नहीं है।

बम्बई एक्ट के अनुसार आई० जी० पी० पुलिस आयुक्त बन जाएंगे तथा प्रशासन के प्रति उत्तरदायी होंगे। संसद के प्रति कौन उत्तरदायी होगा ? मैं सभी पुलिस कर्मचारियों को भ्रष्ट नहीं मानता। इस समय पुलिस एक्ट 1861 लागू है। स्वतन्त्रता के तीस वर्ष पश्चात् भी हम उसे संशोधित नहीं कर सके।

दिल्ली की सड़कों पर दो संसद सदस्यों को अपनी जानों की बलि देनी पड़ी। मंत्री महोदय को स्वयं जाकर सड़कों की स्थिति देखनी चाहिए। यातायात नियंत्रण के आधुनिक तकनीक जानने चाहिए तथा उन्हें लागू करना चाहिए।

पुलिस बैरिकों की स्थिति आवास योग्य नहीं है। इसी कारण पुलिस वालों को रोग ग्रस्त होना पड़ता है। उन्हें छोटा परन्तु अच्छा आवास दीजिए केरल में पुलिस कर्मचारियों के लिए बेहतरीन मकान बनाए गए हैं। यह कार्य केरल आवास बोर्ड ने किया है दिल्ली में भी पुलिस वालों के लिए उचित आवास व्यवस्था होनी चाहिए।

पुलिस वालों की शिकायतों पर उचित ढंग से विचार किया जाना चाहिए। उनके बच्चों की शिक्षा के लिए उचित प्रबन्ध किए जाने चाहिए। उनके लिए अच्छे आवास की व्यवस्था की जानी चाहिए तथा उन्हें चिकित्सा सुविधाएं भी प्रदान की जानी चाहिए। उनकी सभी अनिवार्य आवश्यकताएं पूरी की जानी चाहिए।

पुलिस आयुक्त को विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त करने की शक्तियां दी गई हैं। किसी भी स्वस्थ शरीर वाले व्यक्ति को विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है। सरकार इन नियुक्तियों को राजनैतिक भावनाओं से प्रेरित होकर करना चाहती है। वे पुलिस की शक्तियों को गैर-सरकारी लोगों को देना चाहते हैं। यह एक खतरनाक प्रावधान है। हम इसका सख्त विरोध करते हैं।

पुलिस को किसी न्यायोचित मजदूर संघ के काम में बाधा डालने की शक्तियां दी गई हैं। यह बहुत ही आपत्तिजनक है।

इस विधेयक द्वारा पुलिस को व्यापक शक्तियां मिली हैं। इन पर कुछ अंकुश लगाना चाहिए और जब तक ऐसा नहीं होता तो इनका दुरुपयोग होता रहेगा और अधिक समस्याएं पैदा होंगी।

SHRI VIJAY KUMAR MALHOTRA (South Delhi) : The image of the Police has been spoilt because of the excesses they committed during the emergency and even earlier. At that time the police was under District Magistrates. But no District Magistrate was able to check the police from committing those excesses. Therefore, it will not be correct to say that it will be harmful to introduce the system of Police Commissioner. This experiment of Police Commissioner system can be successful provided certain improvements are made.

The Minister should clasify as to who will take the place of District Magistrate. Will the Central Government take that place ? It will be an unfortunate decision to put the police under the Control of the Home Ministry, Delhi Police should be under the Control of Ministers of Delhi. In many countries the police in cities is under the control of local bodies. In Delhi also either the police should be under the control of Municipal Corporation or the State Ministers.

Many people are coming to Delhi from other parts of the country. Problems of Delhi are increasing with the increase in its population. Steps should be taken to check the growth of population in Delhi. Only then we will be able to control the law and order situation in Delhi.

Delhi police should be modernised. They should be given latest equipment. Also steps should be taken to enforce traffic regulations in Delhi.

Steps should also be taken to solve the problems of policemen. They should be given proper pay scales. Housing problem faced by the police force should also be attended to.

The introduction of the system of Police Commissioner in Delhi is welcomed. But alongwith this step measures should be taken to improve the functioning of the police force.

****श्री एस० जी० मूरुगेटयन (नागपट्टिनम)** : सरकार देश भर में पुलिस का पुनर्गठन करने में असफल हुई है। पुलिस सुधार मात्रा की अपेक्षा गुणों के आधार पर होने चाहिए। पुलिस बल में 50 प्रतिशत भर्तियां

**तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

**Summarised Hindi version of the English translation of speech delivered in Tamil.

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों से होनी चाहिए। ऐसा होने पर ही इस देश के लोग यह महसूस करेंगे कि उन्हें पुलिस का संरक्षण प्रदान है ।

पुलिस प्रशासन पुरानी ब्रिटिश पद्धति के अनुसार ही चल रहा है । इसके लिए वही पुराना 1861 का पुलिस अधिनियम ही चल रहा है। इस देश में पुलिस का पुनर्गठन लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार होना चाहिए, जोकि एक स्वतन्त्र राष्ट्र के अनुरूप हो । पुलिस का पुनर्निर्माण इस तरह से हो कि पुलिस बल का प्रत्येक व्यक्ति यह महसूस करे कि जनता की रक्षा करना उसका परम कर्तव्य है। यही धारणा उसकी सारी गतिविधियों का आधार है।

दिल्ली की आबादी निरन्तर बढ़ रही है। 1955 में आबादी 5 लाख थी और आज 1978 में यह संख्या 60 लाख हो गई है। पुलिस की संख्या इस अनुपात से नहीं बढ़ी । दिल्ली पुलिस का पुनर्निर्माण तीन श्रेणियों में होना चाहिए । यातायात विभाग, महत्वपूर्ण व्यक्ति की सुरक्षा करने वाला विभाग और विधि और व्यवस्था को कायम रखने वाला विभाग । इन तीनों विभागों के पास सभी अपेक्षित उपकरण और सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिएं । दिल्ली में थानों की संख्या में भी वृद्धि होनी चाहिए। पुलिस की शक्ति भी बढ़नी चाहिए।

एक सिपाही का वेतन बहुत कम है, वह तो केन्द्रीय सरकार के चपरासी से भी कम है। इन लोगों के वेतन मानों पर विचार होना चाहिए । साथ ही उन्हें यह भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए कि जनता के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए।

DR. RAMJI SINGH (Bhagalpur) : The idea of introducing the Commissioner of Police system in Delhi was mooted long back. There has been delay in bringing forward this bill. It should have been brought forward earlier.

The Delhi Police does not have any modern equipment. They should be given modern equipment so that they can function effectively.

Wide powers are being given to the Police in Delhi. We should make the police force worthy of enjoying these powers. Otherwise they may be abused. There should be a code of conduct for policemen in this bill.

Delhi will be getting a State Assembly. A Bill has been introduced for that purpose. There should be proper coordination between that bill and this bill.

CHOWDHARY BALBIR SINGH (Mohindarpur) : The Police has already been given wide powers, but this measure sought to give them still more powers. In fact, their difficulties should have been removed. It is futile to presume that giving them under powers until lead to efficiency in the police administration.

There is a good deal of interference in the work of police. This has to be curbed.

It is said that police should not use third degree methods. But the question is whether they have been equipped with latest devices for and being investigations.

Government should see that absolute powers granted to the police do not corrupt them absolutely. Some sort of restrictions should be imposed on the exercise of those powers.

SHRI R. L. P. VERMA (Kodarma) : The proposal to enact the Delhi Police Bill is welcome. Delhi has been become an important place in the world. In the recent past the law and order situation in Delhi has deteriorated, the number of crimes and immoral traffic in women have increased. Therefore it has become essential to reorganise the police. It is a matter of concern that Delhi Police have not been reorganised to the extent it is desirable and as a result, they have not been able to control the anti-social elements. This Bill conferred on the police under powers, but it must also be watched as to what extent they are able to control the anti-social elements.

Measures should also be taken to curb corruptions in police.

DR. BALDEV PRAKASH (Amritsar) : This Bill has a limited object and it sought to abolish the dual control of police and magistrate. It grants extensive powers to the police. Now the basic question is how far it is advisable and whether this measure will achieve the objective. The other question is as to what extent powers be given to the police.

Here one can find that police have been given the powers of local bodies as well. The Police Commissioners has been given the power to appoint temporary police officers out of the available people in times of crisis. A serious thought should be given to such provisions so as to avoid the misuse of these powers. There is a provision in this Bill that if a police station is set up in disturbed area on the demand of the local people, they will have to pay its cost. I will like to know why the people should pay the cost, because it is the function of the police to maintain law and order.

श्री वयालार रवि : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न सभा बैठक के बारे में है। जब बैठक 6 बजे तक हो तो आधे घन्टे की चर्चा 5-1/2 बजे ली जाती है, यद्यपि ऐसा कोई नियम नहीं है। सभा यदि इसे स्थगित करना चाहती है तो उसकी राय जानी जाए। हम छः के बाद बैठने को तैयार नहीं। नियम 14 के अनुसार 6 बजे के बाद आधे घण्टे की चर्चा के लिए जाने का प्रश्न ही नहीं है। बुलेटिन के अनुसार सभा की बैठक 6 बज तक है। (व्यवधान)

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : इस विधेयक उद्देश्य अध्यादेश का प्रतिस्थापन करना है और अध्यादेश की अंतिम तिथि इस महीने की 27 तारीख है। 24 के बाद तीन छुट्टियां हैं अतः इस विधेयक को इस सदन में आज ही पास करना होगा और इसके बाद इसे उपरि सदन ने भी पास करना है अन्यथा बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

प्रो० समर गुह (कन्टाई) : मेरे प्रस्ताव का क्या हुआ इसे बार-बार स्थगित किया जा रहा है।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI LARANG SAI): This Bill is very important and it has to be passed today. I, therefore, request the hon. Members to cooperate and extend the time of the House till the Bill is passed.

श्रीमती पार्वती कृष्णन (कोयम्बतूर) सरकार को इस विधेयक को पहले पेश करना चाहिए था।

DR. BALDEV PRAKASH (Amritsar) : I conclude with these words that it is not proper to say that by giving more powers to police corruption will increase.

श्री एस० डी० पाटिल : मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस विधेयक का समर्थन किया है। अन्य कुछ सदस्यों ने बहुत ही महत्वपूर्ण और रचनात्मक सुझाव दिए हैं सरकार उन पर विचार करेगी। यह पूछा गया है कि अध्यादेश क्यों जारी किया गया और अध्यादेशों का जारी करना वांछनीय नहीं है। दिल्ली में पुलिस आयुक्त को व्यवस्था लागू करने के सरकार के निर्णय की अगस्त 1977 में संसद् में दोनों सदनों में घोषणा कर दी गई थी। गत बजट सत्र में संसद में विधेयक पेश किया जाना था। विधान का प्रारूप तैयार कर दिसम्बर 1977 में दिल्ली महानगर परिषद् में भेज दिया गया था ताकि उसकी सिफारिश प्राप्त कर ली जाए। दिल्ली महानगर परिषद् की सिफारिशें मई 1978, के दूसरे सप्ताह में प्राप्त हुई। चूंकि पहले ही बहुत विलंब हो चुका था इसलिए यह परिवर्तन तुरन्त करने का निर्णय किया गया और पहली जुलाई 1978 को दिल्ली पुलिस अध्यादेश, 1978 जारी किया गया।

यह दिल्ली की चिरकालीन आवश्यकता थी। खोसला आयोग ने एक व्यवस्था लागू करने की पहले ही सिफारिश की है। इससे पुलिस की कार्यक्षमता बढ़ेगी। राजधानी की जनसंख्या वृद्धि और विकट समस्याओं के कारण यह कदम उठाना आवश्यक हो गया है। यह विधेयक 1861 के अधिनियम और 1951 के बम्बई पुलिस अधिनियम के प्रतिमान पर बनाया गया है। ऐसी बात नहीं है कि हम पुलिस को अधिक अधिकार दे रहे हैं और पुलिस उनका दुरूपयोग करेगी।

श्री राम मूर्ति पीठासीन हुए

SHRI RAM MURTI *in the Chair*

यातायात व्यवस्था को नियंत्रण में करने के लिए पुलिस को कुछ अधिकार देने पड़े हैं। अध्यादेश लागू हुए अभी पूरे दो महीने नहीं बीते हैं। इन दो महीनों में हम परिवर्तन कैसे पा सकते हैं? हमने प्रयोग आरम्भ कर दिया है। यह कहना सही नहीं है कि इस व्यवस्था को लागू करने के बाद से अपराधों में वृद्धि हुई है।

पुलिस कर्मचारियों के कार्य उनके वेतनमानों तथा उनके लिए आवास व्यवस्था के बारे में विभिन्न सुझाव सरकार के विचाराधीन हैं।

पुलिस कमिश्नर को कोई अधिक अधिकार नहीं दिए गए हैं। केवल यही किया गया है कि जिला मजिस्ट्रेट के अधिकार पुलिस को दिए जा रहे हैं। पुलिस कमिश्नर का दर्जा जिला मजिस्ट्रेट से बहुत उंचा है।

सरकार पुलिस को अधिक कार्य कुशल और कर्त्तव्य परायण बनाना चाहती है। हम चाहते हैं कि पुलिस को जनता का मित्र, मार्ग दर्शक और सहायक बनाना चाहते हैं।

पुलिस के प्रशिक्षण पर भी ध्यान दिया जाता है। हम एक प्रशिक्षण कालेज और स्कूल की स्थापना करने जा रहे हैं। परन्तु कालेज कुछ समय बाद बनाया जाएगा।

जहां तक पुलिस की कठिन ड्यूटी का संबंध है, इस विषय पर सामाजिक दर्शनशास्त्रियों और वैज्ञानिकों को विचार करना होगा। कार्य के घंटों और अच्छे वेतन पर विचार करते समय सरकार की वित्तीय स्थिति पर ध्यान देना होगा। सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों पर सरकार ध्यान देगी।

कुछ माननीय सदस्यों ने पूछा है कि यदि दिल्ली को राज्य का दर्जा दे दिया गया तो मंत्रिपरिषद आदि की स्थिति क्या होगी। प्रस्तावित विधेयक, जो पुरःस्थापित हो चुका है में राज्य का दर्जा देने की बात नहीं है। यह एक संघ राज्य क्षेत्र होगा और यह गोआ, दमन और दीव अन्य संघ राज्य क्षेत्रों के समान होगा। पुलिस कमिश्नर को जो भी शक्तियां दी जाएंगी और जो विनियम बनेंगे उन्हें संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा।

आपात परिस्थितियों में ही विशेष पुलिस अधिकारी होंगे। वे हृष्ट पुष्ट होने चाहिए। किसी प्रकार की राजनीतिक रियायत नहीं होगी। यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह कर सकता है और उस पर 15 दिनों में निर्णय कर लिया जाएगा।

श्रीमती पार्वती कृष्णन (कोयम्बटूर) : कानून और व्यवस्था और अपराधों की स्थिति बहुत गम्भीर है। जब स्थिति बिगड़ चुकी हो तो सरकार को उसे सुधारने के लिए प्रयोग नहीं करने चाहिएं।

मैं जानती हूं कि कानून और व्यवस्था की खराब स्थिति से निपटने के लिए पुलिस को अधिक अधिकार मिलने चाहिए परन्तु उसे स्थानीय निकायों के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। केन्द्रीय सरकार न केवल दिल्ली को राज्य के दर्जे से वंचित कर रही है बल्कि नगर निगम के पास पहले से जो अधिकार हैं उन्हें भी स्वयं ले रही है।

इसी प्रकार मैं जानना चाहती हूं कि सरकार द्वारा इस उपबन्ध कि पुलिस मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और गिरजों में व्यवस्था बनाए रख सकती है, क्या तर्क है।

राज्य मंत्री ने कहा है कि इसका दुरुपयोग नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि यह 1861 के अधिनियम पर आधारित है क्या वही देश भक्त अधिनियम। सरकार अन्य अनेक संस्थाओं के राष्ट्रीयकरण की भांति पुलिस का भी राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं कर देती।

श्री वयालार रवि [: दल के कई सदस्यों ने कुछ संशोधनों की सूचना दी है उन्हें पूर्व सूचना दी जानी चाहिए थी कि आज इस विधेयक पर चर्चा होनी है ताकि वह इस समय यहाँ उपस्थित रहते। माननीय सदस्यों का यह हक है उन्हें आप इससे वंचित नहीं कर सकते।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि विधेयक के पास होने तक सभा का समय बढ़ाया जाए। जो इसके पक्ष में हैं अथवा विपक्ष में अपना मत दें।

श्रीमती पार्वती कृष्णन्: समय विस्तार के प्रश्न पर मत विभाजन अच्छा नहीं लगता। हमें आपत्ति केवल इस बात से है कि सरकार विधेयक को प्रवर समिति के समक्ष रखकर उस पर चर्चा का मौका दिए बिना ही अध्यादेश जारी कर देती है।

सभापति महोदय : अतः सदस्यों की अनुमति सभा के कार्य के समय का विस्तार किया जाता है। श्रीमती पार्वती कृष्णन अपना भाषण जारी रखें।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : वातावरण को देखते हुए तथा जो रवैया यहां अपनाया जा रहा है उसे दृष्टिगत रखते हुए मैं और कुछ नहीं कहना चाहती ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 1 जुलाई 1978 को प्रख्यापित दिल्ली पुलिस अध्यादेश, 1978 (1978 का अध्यादेश संख्या 2) का निरनुमोदन करती है"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

सभापति महोदय : शुद्धि की गुंजाइश रहते हुए, मत विभाजन का परिणाम यह है :

पक्ष में 26 A yes 26

विपक्ष में 91 Noes 91

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The Lok Sabha divided.

SHRI RAMANAND TIWARI : I want that this bill should be referred to Select Committee because there are many flaws in it.

PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI) : I will request the hon. Member not to press for his amendment because ordinance was promulgated to bring it in force immediately.

SHRI RAMANAND TEWARI : I withdraw my amendment.

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिया गया

The amendment was, by leave, withdrawn.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है

"कि दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र में पुलिस के विनियमन से संबंधित विधि का संशोधन और समेकन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 2

सभापति महोदय : प्रश्न यह है

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 2 was added to the Bill.

खण्ड 3

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी : मैं अपना संशोधन संख्या 59 प्रस्तुत करता हूं

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिया गया ।

The amendment was, by leave, withdrawn.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 3 was added to the Bill.

खण्ड 4

श्रीमती पार्वती कृष्णन : मैं अपना संशोधन संख्या 74 प्रस्तुत करती हूं।

संशोधन सभा में मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ

The amendment was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 4 को विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 4 was added to the Bill.

खण्ड 5

श्रीमती पार्वती कृष्णन : मैं अपना संशोधन संख्या 75 प्रस्तुत करती हूं।

संशोधन सभा में मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ

The amendment was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 5 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 5 को विधेयक में जोड़ दिया जाए

Clause 5 was added to the Bill.

खण्ड 6

श्रीमती पार्वती कृष्णन : मैं अपना संशोधन संख्या 76 प्रस्तुत करती हूं।

संशोधन सभा में मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ

The amendment was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 6 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 6 was added to the Bill

खण्ड 7

श्रीमती पार्वती कृष्णन : मैं अपना संशोधन संख्या 77, 78 प्रस्तुत करती हूं।

संशोधन सभा में मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ

The amendment was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 7 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुग्रा

The motion was adopted.

खंड 7 विधयक में जोड़ दिया गया

Clause 7 was added to the Bill

खण्ड 8

श्रीमती पार्वती कृष्णन : मैं अपना संशोधन संख्या 79 प्रस्तुत करती हूं ।

संशोधन सभा में मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ

The amendment was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 8 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुग्रा

The motion was adopted.

खण्ड 8 को विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 8 was added to the Bill

खण्ड 9

श्रीमती पार्वती कृष्णन : मैं अपना संशोधन संख्या 80 और 81 प्रस्तुत करती हूं।

संशोधन सभा में मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

The amendments were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 9 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 9 was added to the Bill

खण्ड 10

श्रीमती पार्वती कृष्णन : मैं अपना संशोधन संख्या 82 पेश करती हूं।

संशोधन सभा में मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुग्रा

Amendments were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 10 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुग्रा

The motion was adopted.

खण्ड 10 विधेयक में जोड़ा गया

Clause 10 was added to the Bill.

खण्ड 11 विधयक में जोड़ा गया

Clause 11 was added to the Bill.

खण्ड 12

श्रीमती पार्वती कृष्णन : मैं अपना संशोधन संख्या 83 पेश करती हूं।

संशोधन सभा में मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The amendment was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 12 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 12 विधेयक में जोड़ा गया

Clause 12 was added to the Bill.

खण्ड 13

श्रीमती पार्वती कृष्णन : मैं अपना संशोधन संख्या 84 पेश करती हूं।

संशोधन सभा में मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ

The amendment was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 13 विधेयक का अंग बने"

प्रस्तावित स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 13 विधेयक में जोड़ा गया

Clause 13 was added to the Bill.

खण्ड 14 विधेयक में जोड़ा गया

Clause 14 was added to the Bill.

खण्ड 15 विधेयक में जोड़ा गया

Clause 15 was added to the Bill.

खण्ड 16 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 16 was added to the Bill.

खण्ड 17

श्रीमती पार्वती कृष्णन : मैं अपना संशोधन संख्या 85 और 86 पेश करती हूं।

संशोधन सभा में मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए

The amendments were put and negatived.

श्री वयालार रवि : मैं अपना संशोधन संख्या, 135 पेश करता हूं।

यदि कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी नामनिर्दिष्ट किया जाता है और वह इन्कार कर देता है तो हम उसे मजबूर नहीं कर सकते।

संशोधन सभा में मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ

The amendment was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 17 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 17 विधेयक में जोड़ा गया

Clause 17 was added to the Bill.

खण्ड 18

श्रीमती पार्वती कृष्णन : मैं अपना संशोधन संख्या 87 पेश करती हूं।

संशोधन सभा में मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

The amendment was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 18 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 18 विधेयक में जोड़ा गया

Clause 18 was added to the Bill.

खण्ड 19

श्रीमती पार्वती कृष्णन : मैं अपना संशोधन संख्या 88 पेश करती हूं।

संशोधन सभा में मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The amendment was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 19 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 19 विधेयक में जोड़ा गया

Clause 19 was added to the Bill.

खण्ड 20 विधेयक में जोड़ा गया

Clause 20 was added to the Bill.

खण्ड 21

श्री रामानन्द तिवारी : मैं अपने संशोधन संख्या 7, 8, 9, 10, 11, पेश करता हूं।

सभापति महोदय : क्या आप इन पर जोर दे रहे हैं।

श्रीरामानन्द तिवारी : यदि मंत्री जी यह आश्वासन दें, तो मैं प्रेस नहीं करूंगा।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिये गये ।

The amendments were by leave withdrawn.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 21 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 21 विधेयक में जोड़ा गया

Clause 21 was added to the Bill.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 22 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 22 विधेयक में जोड़ा गया

Clause 22 was added to the Bill.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 23 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 23 विधेयक में जोड़ा गया

Clause 23 was added to the Bill.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 24 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 24 विधेयक में जोड़ा गया

Clause 24 was added to the Bill.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 25 विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 25 विधेयक में जोड़ा गया

Clause 25 was added to the Bill.

खंड 26

श्रीमती पार्वती कृष्णन : मैं अपना संशोधन संख्या 91 पेश करती

संशोधन सभा में मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ

The amendment was put and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 26 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 26 विधेयक में जोड़ा गया

Clause 26 was added to the Bill.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 27 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खड 27 विधेयक में जोड़ा गया

Clause 27 was added to the Bill.

खंड 28

श्रीमती पार्वती कृष्णन : मैं अपने संशोधन संख्या 95 से 98 पेश करती हूं।

संशोधन सभा में मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

The amendments were put and negatived.

श्री वयालार रवि : मैं अपना संशोधन संख्या 139 पेश करता हूं। अन्य राज्यों के जो सांस्कृतिक दल कार्यक्रम दिखाने यहां आते हैं उनके लिए उनके अपने राज्य की अनुमति पर्याप्त होगी चाहिए।

श्री एस० डी० पाटिल : मैं संशोधन स्वीकार करता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

[पृष्ठ 13, --

पंक्ति 28 के अंत में यह जोड़ा जाए --

"और यदि ऐसे किसी कार्यक्रम को और आलेख को किसी राज्य द्वारा उपयुक्तता का प्रमाणपत्र प्राप्त है तो उसे इस धारा से छूट मिलनी चाहिए।"

Page 13—line 28, add at the end—"and any such performances and of the scripts in respect there of granted suitability certificate by any State shall be exempt from this Section]".

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्रीमती पार्वती कृष्णन : मैं संशोधन सं० 167 और 168 पेश करती हूं।

संशोधन सभा में मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए

The amendments were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 28, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 28, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ा गया

Clause 28, as amended, was added to the Bill.

खंड 29

श्रीमती पार्वती कृष्णन : मैं अपना संशोधन संख्या 103 पेश करती हूं।

संशोधन सभा में मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

The amendment was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 29 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खंड 29 विधेयक में जोड़ा गया

Clause 29 was added to the Bill.

खंड 30

श्रीमती पार्वती कृष्णन : मैं संशोधन संख्या 104 और 108 पेश करती हूं

संशोधन सभा में मतदान के लिये रखा गये तथा अस्वीकृत हुए

The amendments were put and negatived.

श्री वयालार रवि : मैं अपना संशोधन संख्या 152 पेश करता हूं।

संशोधन सभा में मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The amendment was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 30 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 30 विधेयक में जोड़ा गया।

Clause 30 was added to the Bill.

खंड 31

श्रीमती पार्वती कृष्णन: मैं अपना संशोधन संख्या 110 पेश करती हूं।

संशोधन सभा में मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

The amendments were put and negatived.

श्री वयालार रवि: मैं अपने संशोधन संख्या 145 और 146 पेश करता हूं।

संशोधन सभा में मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

The amendments were put and negatived.

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 31 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 31 विधेयक में जोड़ा गया।

Clause 31 was added to the Bill

खंड 32 विधेयक में जोड़ा गया।

Clause 32 was added to the Bill.

खंड 33 और 34 विधेयक में जोड़े गये।

Clause 33 and 34 were added to the Bill.

खंड 35

श्रीमती पार्वती कृष्णन: मैं अपना संशोधन संख्या 111 पेश करती हूं।

संशोधन सभा में मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The amendments were put and negatived.

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 35 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 35 विधेयक में जोड़ा गया।

Clause 35 was added to the Bill.

खंड 36 विधेयक में जोड़ा गया।

Clause 36 was added to the Bill.

खंड 37

पार्वती कृष्णन: मैं अपना संशोधन 112 पेश करती हूं।

संशोधन सभा में मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The amendment was put and negatived.

सभापति महोदय प्रश्न यह है:

"कि खंड 37 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 37 विधेयक में जोड़ा गया।

Clause 37 was added to the Bill.

खंड 38 विधेयक में जोड़ा गया।

Clause 38 ws added to the Bill.

खंड 39

श्रीमती पार्वती कृष्णन मैं अपना संशोधन संख्या 113 पेश करती हूं।

संशोधन सभा में मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The amendment was put and negatived.

श्री वयालार रवि : मैं अपना संशोधन संख्या 147 पेश करता हूं :

श्रीमती पार्वती कृष्णन : मैं अपना संशोधन संख्या 169 पेश करती हूं।

संशोधन सभा में मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : मैं श्रीमती पार्वती कृष्णन के संशोधन सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन सभा के मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

The amendments were put and negatived.

सभापति महोदय : अब मैं श्री वयालार रवि का संशोधन मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन सभा में मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The amendment was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 39 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 39 विधेयक में जोड़ा गया।

Clause 39 was added to the Bill.

खंड 40

श्री वयालार रवि : मैं अपना संशोधन संख्या 148 पेश करता हूं।

संशोधन सभा में मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The amendment was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 40 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 40 विधेयक में जोड़ा गया।

Clause 40 was added to the Bill.

खण्ड 41

श्रीमती पार्वती कृष्णन : मैं अपना संशोधन संख्या 119 पेश करती हूं।

श्री वयालार रवि : मैं अपना संशोधन संख्या 141 और 142 पेश करता हूं।

श्री वयालार रवि : यह लोगों के ऊपर लगाया गया जुर्माना है। इसका किसी भी सीमा तक दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। मैं मंत्री महोदय को चेतावनी देना चाहता हूं कि इससे मुकदमेबाजी बढ़ेगी। सरकार गरीब

लोगों पर जुर्माना लगाना चाहती है। यह एक गलत बात है । यह गांधीवादी सिद्धांतों तथा समाज की नैतिकता के विरुद्ध है । इसलिए मैं इस खंड का विरोध करती हूं। मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह इस खंड को वापस ले लें।

श्री एस० डी० पाटिल : इस संशोधन का उद्देश्य खंड 41 (3) का प्रतिस्थापन करना है। संशोधन में यह उपबन्ध है कि दोषी व्यक्तियों द्वारा क्षति के लिए मुग्रावजे की राशि कानूनी ग्रदालत में दी जाएगी ग्रौर ऐसा कानूनी ग्रदालत के निदेशों के ग्रनुसार किया जाएगा।

खंड 41 का उपखण्ड जिला क्लेक्टरों को पर्याप्त कारणों के ग्राधार पर किसी व्यक्ति को मुग्रावजे के किसी ग्रंश का भुगतान करने से छूट देने की शक्ति प्रदान करता है। इस उपबंध को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित संशोधन ग्रावश्यक नहीं होगा । न्यायिक कार्यवाहियों से मुग्रावजे की राशि को भुगतान में ग्रनावश्यक विलम्ब भी होगा।

इस लिए मैं संशोधन का विरोध करता हूं :

सभापति महोदय द्वारा संशोधन 119, 141 तथा 142 सभा में मतदान के लिए रखे गये तथा ग्रस्वीकृत हुए
Amendment Nos. 119, 141 *and* 142 *were put and negatived*

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"खण्ड 41 विधेयक का ग्रंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुग्रा
The motion was adopted.

खंड 41 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 41 *was added to the Bill.*

खंड 42 से 45 विधेयक में जोड़ दिए गए
Clause 42 *to* 45 *were added to the Bill.*

खण्ड 46

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"खंड 46 विधेयक का ग्रंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुग्रा
The motion was adopted.

खंड 46 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 46 *was added to the Bill.*

खण्ड 47

श्रीमती पार्वती कृष्णन : मैं ग्रपना संशोधन संख्या 120 पेश करती हूं ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 120 सभा में मतदान के लिए रखा गया ग्रौर ग्रस्वीकृत हुग्रा
Amendment No. 120 *was put and negatived.*

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 47 विधेयक का ग्रंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुग्रा
The motion was adopted.

खंड 47 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 47 *was added to the Bill.*

खंड 48 से 58 विधेयक में जोड़ दिए गए
Clause 48 *to* 58 *were added to the Bill.*

खण्ड 59

श्रीमती पार्वती कृष्णन : मैं अपना संशोधन संख्या 121 पेश करती हूं।

सभापति महोदय : मैं संशोधन संख्या 121 मतदान के लिए रखता हूं।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ

The amendment was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 59 विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 59 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 59 was added to the Bill.

खंड 60 से 62 विधेयक में जोड़ दिए गए

Clauses 60 to 62 were added to the Bill.

खंड 63

श्रीमती पार्वती कृष्णन : मैं अपना संशोधन संख्या 123 पेश करती हूं।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 123 सभा में मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

Amendment No. 123 was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 63 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 63 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 63 was added to the Bill.

खण्ड 64 से 69 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clause 64 to 69 was added to the Bill.

खण्ड 70

श्रीमती पार्वती कृष्णन : मैं अपना संशोधन संख्या 125 पेश करती हूं।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 125 सभा में मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

Amendment No. 125 was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 70 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 70 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 70 was added to the Bill.

खंड 71 से 82 विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clauses 71 to 82 were added to the Bill.

खण्ड 83

श्रीमती पार्वती कृष्णन : मैं अपना संशोधन संख्या 171 पेश करती हूं।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 171 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

Amendment No. 171 was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 83 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 83 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 83 was added to the Bill.

खण्ड 84 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 84 was added to the Bill.

खण्ड 85

श्रीमती पार्वती कृष्णन : मैं अपना संशोधन संख्या 172 पेश करती हूं।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन सभा में मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

Amendment was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"खंड 85 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत आ।

The motion was adopted.

खण्ड 85 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 85 was added to the Bill.

खण्ड 86 से 90 विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clauses 86 to 90 were added to the Bill.

खण्ड 91

श्रीमती पार्वती कृष्णन : मैं अपना संशोधन 126 पेश करती हूं :

सभापति महोदय द्वारा संशोधन सभा में मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

Amendment was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 91 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 91 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 91 was added to the Bill.

खण्ड 92 से 97 विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clauses 92 to 97 were added to the Bill.

खण्ड 98

श्रीमती पार्वती कृष्णन: मैं अपना संशोधन संख्या 173 तथा 174 पेश करती हूं।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन सभा में मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए ।

Amendments were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 98 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 98 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 98 *was added to the Bill.*

खण्ड 99 से 108 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

Clauses 99 *to* 108 *were added to the Bill.*

खण्ड 109

श्रीमती पार्वती कृष्णन : मैं अपना संशोधन संख्या 175 और 176 पेश करती हूं :

सभापति महोदय द्वारा संशोधन सभा में मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए ।

Amendments were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 109 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 109 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 109 *was added to the Bill.*

खण्ड 110

श्रीमती पार्वती कृष्णन : मैं अपना संशोधन संख्या 177 तथा 178 पेश करती हूं ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन सभा में मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

Amendments were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 110 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 110 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 110 *was added to the Bill.*

खण्ड 111 से 117 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

Clauses 111 *to* 117 *were added to the Bill.*

खण्ड 118

श्री वयालार रवि : मैं अपना संशोधन संख्या 153 और 154 पेश करता हूं ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 153 और 154 सभा में मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए ।

Amendments were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 118 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 118 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 118 *was added to the Bill.*

खण्ड 119

श्री वयालार रवि : मैं अपना संशोधन संख्या 155 और 156 पेश करता हूं।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए ।

Amendments were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"खंड 119 और 120 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 119 और 120 विधेयक में जोड़ दिये गए।

Clauses 119 *and* 120 *were added to the Bill.*

खण्ड 121

श्री वयालार रवि : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

[पृष्ठ 42, —

पंक्ति 36 के बाद निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए:—

"(2) ऐसे दण्ड से ऐसे किसी विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति का प्रमाणपत्र स्वत: रद्द हो जाएगा (159)"

Page 42—

After line 36 insert—

"(2) Such punishment shall be automatically cancel the certificate of appointment of such a special police officer".]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"पंक्ति 36 के बाद निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :—

["(2) ऐसे दण्ड से ऐसे किसी विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति का प्रमाण पत्र स्वत: रद्द हो जाएगा" (159)"

After line 36 insert—

"(2) Such punishment shall automatically cancel the certificate of appointment of such a special police officer]" (159)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"खंड 121, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 121, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 121, *as amended, were added to the Bill.*

खण्ड 122

श्री वयालार रवि : मैं अपना संशोधन संख्या 160 पेश करता हूं ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन सभा में मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

The amendments was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 122 से 125 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 122 से 125 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

Clauses 122 *to* 125 *were added to the Bill.*

खण्ड 126

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 126 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 126 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 126 *was added to the Bill.*

खण्ड 127

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 127 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 127 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 127 *was added to the Bill.*

खंड 128 से 141 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

Clauses 128 *to* 141 *were ddded to the Bill.*

खण्ड 142

श्री वयालार रवि : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"पृष्ठ 48, पंक्ति 20 —

"Urdu or English (उर्दू अथवा अंग्रेजी) के स्थान पर Urdu and English (उर्दू और हिन्दी) प्रतिस्थापित किया जाए (163)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"पृष्ठ 48, पंक्ति 20 —

"Urdu or English (उर्दू अथवा अंग्रेजी) के स्थान पर Urdu and English (उर्दू और हिन्दी) प्रतिस्थापित किया जाए

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय: प्रश्न यह है :

"खंड 142, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 142, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 142, as *amended, was added to the Bill.*

खण्ड 143,144 और 145 विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clauses 143, 144 *and* 145 *were added to the Bill.*

खण्ड 146 और 147 विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clauses 146 *and* 147 *were added to the Bill.*

खण्ड 148

सभापति महोदय: प्रश्न यह है :

"कि खंड 148 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 148 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 148 *was added to the Bill.*

खण्ड 149 से 152 विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clauses 149 *to* 152 *were added to the Bill.*

प्रथम अनुसूची

श्रीमती पार्वती कृष्णन: मैं अपने संशोधन संख्या 129, 130, 131, 132 पेश करती हूं।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन सभा में मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

Amendment was put and negatived.

सभापति महोदय: प्रश्न यह है :

"कि प्रथम अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

प्रथम अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

First Schedule was added to the Bill.

द्वितीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

The Second Schedule, Third Schedule, Clause 1, *Enacting Formula and the title were added to the Bill.*

श्री एस० डी० पाटिल: मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पास किया जाए।"

श्री वयालार रवि: यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है। प्रसन्नता की बात है कि माननीय मंत्री ने कुछ संशोधनों को मान लिया है। आशा है कि यह विधेयक पास हो जाएगा।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : मंत्री महोदय, ने विधेयक को सावधानीपूर्वक नहीं पढ़ा है । इसके लिए मैं उन्हीं को जिम्मेदार ठहराती हूं । आश्चर्य और दु:ख की बात है कि हमें सभा में बैठने एवं सहयोग देने के लिए कहा जा रहा है ।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय, अब आपको एक संकल्प पेश करना होगा क्योंकि संशोधन स्वीकार किया जा चुका है ।

श्री एस० डी० पाटिल : यह संशोधन परिणामात्मक है। इसका सम्बन्ध संशोधन को विषय वस्तु से नहीं है ।

सभापति महोदय : आपको नियमों के अनुसार इसे पेश करना ही होगा।

सभापति महोदय :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पास किया जाए"

कुछ माननीय सदस्य : 'हां'

जो इसके विपक्ष में हैं वे 'न' कहें

कुछ माननीय सदस्य : 'न'

श्री अरविन्द बाला पजनौर : सभा में कोरम नहीं है। यह एक महत्वपूर्ण मामला है। क्या जल्दी में सब कुछ किया जा सकता है ?

सभापति महोदय : सभा में कोरम नहीं है । अत: हम विधेयक पर आगे कार्यवाही नहीं कर सकते ।

इसके बाद लोक सभा गुरुवार, 24 अगस्त, 1978/2 भाद्र, 1900 (शक) के मध्याह्न पूर्व 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the Clock on Thursday, the 24th August, 1978/Bhadra 2, 1900 (Saka).

395 LSS/78—GIPF